छत्तीसगढ़ विधान सभा

(षष्ठम्)

खण्ड –2

जुलाई, 2024 सत्र

के

प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

(दिनांक दिसम्बर, 2024 को सदन में प्रस्तुत)

(एक)

(प्रस्तावना)

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के अध्याय–7 के नियम–51 के अनुसार इस संकलन में जुलाई, 2024 सत्र हेतु नियत बैठकों की प्रश्नोत्तर सूचियों में मुद्रित अपूर्ण उत्तरों का संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित पूर्ण उत्तरों का संकलन सम्मिलित किया गया है। साथ ही यथासमय प्राप्त पृथक वितरित एवं पुनरीक्षित उत्तरों को भी मुद्रित कराया गया है ।

शासन द्वारा पूर्व में दी गयी जानकारी बड़े कोष्टक [...............................] के अंदर मुद्रित है । इस संकलन में सामान्य प्रशासन, खेलकूद एवं युवा कल्याण, नगरीय प्रशासन एवं विकास, वाणिज्य एवं उद्योग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण चिकित्सा शिक्षा, गृह, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, वित्त, वाणिज्यिक कर तथा आवास एवं पर्यावरण विभागों के प्रश्न एवं यथासमय विभागों से प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची के शुद्धि पत्रों की सूची सम्मिलित की गयी है।

रायपुर,
दिनांक : 05 दिसम्बर, 2024.

दिनेश शर्मा
सचिव

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	जुलाई, 2024 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर	**1–11**
2.	जुलाई, 2024 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट	A-1 - A-55
3.	जुलाई, 2024 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची	A-56 - A-75

जुलाई, 2024 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में शासकीय भवनों, सड़कों, चौक-चौराहों तथा शासकीय संस्थान व विश्वविद्यालयों के नाम परिवर्तन के नियम/निर्देश

[सामान्य प्रशासन]

1. (क्र. 42) श्री अजय चंद्राकर : क्या मुख्यमंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ में शासकीय भवनों, कालोनियों, सड़कों, चौक-चौराहों तथा शासकीय संस्थान व विश्वविद्यालयों के नाम परिवर्तन करने के संबंध में शासन के क्या नियम-निर्देश व प्रकिया है? (ख) प्रदेश में 1 दिसंबर, 2018 से 10 दिसंबर, 2023 तक कौन-कौन से शासकीय भवनों, कॉलोनियों, सड़कों एवं चौक-चौराहों तथा शासकीय संस्थान व विश्वविद्यालयों का नाम परिवर्तन कर क्या-क्या नाम रखा गया है? क्या यह परिवर्तित नाम उक्त नियम-निर्देश व प्रकिया के अनुरूप है? यदि नहीं है तो क्या उनके मूल नाम में वापस रखा जायेगा एवं नियम विरूद्ध नाम परिवर्तन करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही अब तक की गयी?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : [(क) जानकारी एकत्र की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है।**]** (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है।(ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है।

छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल हेतु मैदान निर्माण एवं सामग्री क्रय में व्यय राशि

[खेलकूद एवं युवा कल्याण]

2. (क्र. 44) श्री अजय चंद्राकर : क्या राजस्व मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल अंतर्गत कौन-कौन से खेलों को शामिल किया गया था? उन खेलों के मैदान निर्माण एवं सामग्री खरीदी हेतु कितनी-कितनी राशि प्रति मैदान व सामग्री, व्यय किया जाना था? कहां-कहां, कितनी-कितनी लागत के मैदान व किन-किन खेलों के लिये क्या-क्या सामग्री की खरीदी की गयी ? (ख) उक्त खेलों के आयोजन के दौरान राजीव युवा मितान क्लब द्वारा उक्त वर्षों में कितनी राशि का उपयोग किया गया है? यदि नहीं की गयी है तो इस क्लब का इस आयोजन के साथ क्या संबंध रहा है?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : [(क) छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में गिल्ली डंडा, पिट्टूल, संखली, लंगड़ी दौड, कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी, बाटी (कंचा), बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मी. दौड, लम्बी कूद एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में गिल्ली डंडा, पिट्टूल, संखली, लंगड़ी दौड, कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी, बाटी (कंचा), बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मी. दौड़, लम्बी कूद, रस्सीकूद, कुश्ती खेलों को शामिल किया गया था। आयोजन की मार्गदर्शिका में खेलों के मैदान निर्माण एवं सामग्री खरीदी हेतु व्यय राशि निर्धारित नहीं थी। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** (क) एवं (ख) की जानकारी **प्रपत्र-अ** एवं **प्रपत्र-ब** में संलग्न है ।

परिशिष्ट - एक

बस्तर संभागान्तर्गत संचालित वृहद एवं मध्यम उद्योग हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा
[वाणिज्य एवं उद्योग]

3. (क्र. 274) श्री किरण देव : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग अंतर्गत कितने वृहद एवं मध्यम उद्योग कब-कब से संचालित हैं ? संचालित उद्योगों हेतु कितनी - कितनी शासकीय एवं निजी भूमि किन-किन ग्रामों के, कितने किसानों की अधिग्रहित की गई है ? उद्योगवार/ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश 'क' के स्थापित उद्योगों द्वारा नियमानुसार प्रभावित परिवारों के कुल कितने लोगों को नौकरी एवं कितना-कितना मुआवजा प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाना था ? कितनी राशि का भुगतान किया गया ? कितने प्रकरण मुआवजा एवं नौकरी हेतु लंबित हैं ? ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश 'ख' के लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : [(क), (ख) एवं (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** (क) बस्तर संभाग के जिला बस्तर एवं दंतेवाड़ा के अंतर्गत 02 वृहद उद्योग एवं 01 मध्यम उद्योग संचालित हैं। संचालित उद्योगों हेतु कुल 1398 किसानों की कुल 211.05 हेक्टेयर शासकीय भूमि का हस्तांतरण एवं 648.25 हेक्टेयर निजी भूमि को औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित किया गया है। उद्योगवार/ग्रामवार विस्तृत विवरण जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ पर दर्शित है। (ख) प्रश्नांश 'क' के स्थापित उद्योगों के द्वारा नियमानुसार प्रभावित परिवारों के 979 लोगों को नौकरी तथा 85 कृषकों ने एक मुश्त राशि प्राप्त की है। कुल मुआवजा राशि रू. 90,08,75,195.00 (नब्बे करोड़ आठ लाख पचहत्तर हजार एक सौ पनचानबे रूपये) का भुगतान किया गया है। मुआवजा का दर विस्तृत विवरण जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब पर दर्शित है। मुआवजा का कोई प्रकरण लंबित नहीं है। 131 प्रकरण विभिन्न कारणों से नौकरी हेतु लंबित है। ग्रामवार विस्तृत विवरण जानकारी संलग्न प्रपत्र-स पर दर्शित है। (ग) लंबित प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर ली जावेगी।

परिशिष्ट - दो

प्लेसमेंट/आउटसोर्सिंग एजेन्सियों के माध्यम से नियोजन
[वाणिज्य एवं उद्योग]

4. (क्र. 364) डॉ. चरण दास महंत : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्लेसमेंट/आऊटसोर्सिंग एजेन्सियों के माध्यम से नियोजित श्रमिकों एवं कर्मियों को विधियों के अन्तर्गत क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त करने की पात्रता होती है? 30 जून, 2024 की स्थिति में शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों तथा आयोगों में नियोजितों की संख्या कितनी-कितनी है? (ख) प्लेसमेंट/आऊटसोर्सिंग एजेन्सियों के माध्यम से शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों तथा आयोगों में नियोजन हेतु लागू सेवा नियम का नाम क्या है, तथा यह कब से प्रवृत्त है? इन सेवायुक्तों के द्वारा नियोजन से संबंधित विवादों का निराकरण करने के लिए किस विधि के अन्तर्गत कौन पदाधिकारी सक्षम होता है? (ग) इन सेवायुक्तों को वेतन, भत्ता, सुविधाएं आदि का भुगतान करने के लिए कौन सा नियम लागू है तथा कब से?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : [प्रश्नांश क, ख एवं ग की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** (क) प्लेसमेंट/आउटसोर्सिग एजेन्सियों के माध्यम से नियोजित श्रमिकों एवं कर्मियों को राज्य में प्रचलित श्रम कानून के अंतर्गत वेतन एवं ई.पी.एफ तथा ई.एस.आई.सी. की पात्रता होती है। 30 जून, 2024 की स्थिति में शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों तथा आयोगों में नियोजितों की कुल संख्या 40608 है जिसका **विस्तृत विवरण जानकारी संलग्न प्रपत्र** पर दर्शित है (ख) प्लेसमेंट/आऊट सोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से नियोजन हेतु ई-निविदा आमंत्रित कर प्लेसमेंट एजेंसी का चयन किया जाता है एवं निविदा/अनुबंध की शर्तों के अनुसार निगम के विभिन्न कार्यालयों में आवश्यकतानुसार विभिन्न वर्गों/श्रेणियों के कर्मियों की तैनाती प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से की जाती हैं। उक्त के संबंध में विवादों का निराकरण प्लेसमेंट एजेंसी के साथ निष्पादित अनुबंध के शर्तों तथा लागू श्रम कानून के अंतर्गत किया

जाता हैं। (ग) कार्यालय जिला कलेक्टर द्वारा समय-समय पर प्रभावशील न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्तें की दरें आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को एवं कर्मचारियों हेतु दैनिक एवं मासिक दरें निर्धारित की जाती है। इन दरों के अनुसार प्रत्येक माह में प्रस्तुत देयक अनुसार प्लेसमेंट एजेंसी को भुगतान किया जाता है तथा प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा नियोजित सेवायुक्तों को श्रम कानून में निहित प्रावधानों के अनुसार उनके बैंक खातों में निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता हैं।

<u>परिशिष्ट - तीन</u>

<u>खाद बीज एवं उर्वरक की आपूर्ति</u>
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

5. (क्र. 424) श्री अजय चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021-22 से 2024-25 (30 जून, 2024) तक कौन-कौन से, कितनी-कितनी मात्रा में रासायनिक खाद/उर्वरक एवं बीज की मांग थी? मांग के विरूद्ध कितनी-कितनी मात्रा केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नांक ''क'' सहकारी/निजी क्षेत्रों को खाद-बीज देने हेतु शासन की नीति क्या है? क्या दर निर्धारित की गयी है? किस अनुपात में कितनी-कितनी मात्रा में दिये गये तथा किन-किन निजी संस्थाओं को दिये गये? संस्था का नाम सहित बतायें, जानकारी वर्षवार बतायें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) **जानकारी** संकलित की जा रही है। (ख) **जानकारी** संकलित की जा रही है।**]** (क) प्रदेश में खरीफ एवं रबी मौसम की वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 (30 जून 2024 तक) रासायनिक उर्वरकों की मांग एवं केन्द्र सरकार द्वारा की गई आपूर्ति तथा बीज की मांग के विरूद्ध आपूर्ति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है।** (ख) प्रदेश में खरीफ एवं रबी मौसम के लिए विभाग द्वारा निजी एवं सहकारी क्षेत्र हेतु उर्वरक की मांग आंकलित की जाती है। तद्नुरूप सहकारी क्षेत्र को छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड) द्वारा उर्वरको की आपूर्ति की जाती है। सहकारी समितियों में पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उर्वरक रेक की सामान्यतः 60 प्रतिशत मात्रा (आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई जाती है) मार्कफेड द्वारा भण्डारित की जाती है।प्रदेश की सहकारी समितियों को बीज की आपूर्ति छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि.(बीज निगम) के द्वारा की जाती है। बीज निगम अथवा राज्य सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र को बीज की आपूर्ति नहीं की जाती। छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित तथा छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित उर्वरक एवं बीज की दर की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स एवं द अनुसार है।** आपूर्तिकर्ता कंपनी द्वारा निजी संस्थाओं को उपलब्ध कराये गये उर्वरक की मात्रा का विवरण संस्थावार, मौसमवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-इ अनुसार है।**

<u>विभागों में लगे उपकरों या शुल्कों से प्राप्त एवं व्यय राशि</u>
[वित्त]

6. (क्र. 425) श्री अजय चंद्राकर : क्या वित्त मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 जनवरी, 2024 से 30 जून, 2024 तक कौन-कौन से उपकर या शुल्क, किन-किन उद्देश्यों से, किन-किन चीजों पर, कितनी-कितनी प्रतिशत/दर पर, कब से अधिरोपित किये गए तथा उसकी समायवधि कितनी है और 30 जून, 2024 की स्थिति में कौन-कौन सा प्रभावशील है तथा उससे कितनी राशि प्राप्त हुयी? (ख) क्या उक्त अधिरोपित उपकरों/शुल्कों से प्राप्त राशि का उपयोग उनके उद्देश्यों के अनुरूप किया गया है? यदि हां, तो किन-किन कार्यो में, कितनी राशि व्यय की गयी? यदि उनके उद्देश्यों के अनुरूप व्यय नही किया गया है तो क्या यह नियम विरूद्ध है? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही अब तक की गयी?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : [उपरोक्त **जानकारी** शासन के विभिन्न विभागों से संकलित की जा रही है। संकलन उपरांत **जानकारी** प्रेषित की जावेगी।**]** प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' की जानकारी **" संलग्न प्रपत्र"** अनुसार है।

परिशिष्ट - चार

मंडी बोर्ड के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यो की अद्यतन स्थिति
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

7. (क्र. 498) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि बसना विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 से जून, 2024 तक मंडी बोर्ड में कुल कितनी राशि के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? उनमे से कितने पूर्ण तथा कितने अपूर्ण हैं तथा कितनों की स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित/लंबित है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [बसना विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 से जून, 2024 तक मंडी बोर्ड में राज्य विपणन विकास निधि तथा मंडी समिति निधि से स्वीकृत किये गये निर्माण कार्यों, उनके पूर्णता एवं अपूर्णता की जानकारी क्रमशः संलग्न प्रपत्र-अ एवं संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**]** बसना विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 से जून, 2024 तक मंडी बोर्ड में राज्य विपणन विकास निधि से कुल 59 कार्य लागत रू. 588.78 लाख के स्वीकृत किये गये है, उनमे से 37 पूर्ण तथा 22 कार्य, लागत रू. 120.15 लाख के अप्रारंभ होने से निरस्त किये गये, की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ** तथा मंडी समिति निधि से प्रस्तावित 46 कार्य, लागत रू. 291.48 लाख की स्वीकृति दिनाकं 11.07.2024 को दी गई है, की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[पुनरीक्षित उत्तर]

परिशिष्ट - पाँच

प्राकृतिक एवं सड़क हादसे में मुआवजा के नियम।
[गृह]

8. (क्र. 571) श्री धर्मजीत सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह), यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के अंतराल में प्रदेश में कितने प्राकृतिक एवं सड़क हादसे हुए हैं ? इन हादसों में कितनी मौतें हुई हैं एवं कितने घायल हुए हैं ? जिलेवार विस्तृत विवरण देवें? (ख) कंडिका "क" के हादसों के कारणों की समीक्षा किन-किन बिंदुओं पर, किस-किस स्तर पर किए जाने का प्रावधान है एवं कब-कब की गई है विस्तृत विवरण देवें? (ग) क्या कंडिका "क" के हादसों से प्रभावितों को मुआवजा का प्रावधान है ? यदि हां तो प्राकृतिक एवं सड़क हादसे में कौन-कौन से हादसे में कितना-कितना मुआवजा का प्रावधान है एवं कितना-कितना मुआवजा दिया गया हैं विवरण देवें? प्राकृतिक एवं सड़क हादसे में मुआवजा दिए जाने का नियम क्या है, विस्तृत विवरण देवें?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : [(क) प्रश्नाधीन अवधि में सड़क हादसे में हुई मौत तथा घायल की जिलेवार **जानकारी** संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है, तथा प्राकृतिक हादसे की **जानकारी एकत्रित** की जा रही है। (ख) हादसों के कारणों की समीक्षा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित 21 बिंदुओं अनुसार प्रतिवर्ष राज्य/जिला स्तर पर किया जाता है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अुनसार है। (ग) प्राकृतिक हादसे की **जानकारी एकत्रित** की जा रही है। सड़क हादसे में ''हिट एण्ड रन'' के मामले में शासन द्वारा सोलेशियम योजना अंतर्गत मुआवजा राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2021-22 के पूर्व हिट एण्ड रन के मृतक प्रकरण में 25,000/- एवं गंभीर घायल प्रकरण में 12,500/- मुआवजा राशि देने का प्रावधान था। 01.04.2022 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार हिट एण्ड रन मामले में मृतक प्रकरण में 2,00,000/- एवं गंभीर घायल में रू0 50,000/- का प्रावधान है। 56 प्रकरणों में (53 मृतक प्रकरणों में प्रत्येक को रू0 25000/- एवं 01 मृतक प्रकरण में

रू. 200000/- तथा 02 गंभीर घायल प्रकरण में प्रत्येक को रू0 12500/-) के मान से कुल राशि रू0 1550000/- (पन्द्रह लाख पचास हजार रू0) मुआवजा राशि प्रदान की गई है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है।**]** (क) प्रश्नाधीन अवधि में प्राकृतिक हादसे की जिलेवार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जिलेवार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हॉ। प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्तियों के परिजनों को रू0 4.00 लाख प्रति व्यक्ति देने का का प्रावधान है। प्राकृतिक आपदा से दी गई अुनदान सहायता राशि की जिलेवार एवं वर्षवार पुस्तकालय में रखें प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। प्राकृतिक आपदा से अुनदान सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार दिया जाता है।

प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति
[वित्त]

9. (क्र. 574) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वित्त मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारी रखे जाने के नियम/निर्देश हैं? यदि हॉ तो क्या हैं? क्या प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारियों को रखने हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति जरूरी है तथा इस हेतु क्या नियम हैं? (ख) प्रदेश में वर्ष 2022 व 2023 में किन-किन विभागों में प्लेसमेंट के माध्यम से कितने अधिकारी/कर्मचारी रखे गए थें तथा इन में कितने अधिकारी/कर्मचारियों को रखने के लिये वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदाय की गई थी और कितने कर्मचारी वित्त विभाग की बिना स्वीकृति प्राप्त किये रखे गए थे? विभागवार, पदवार जानकारी देवें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : [(क) जी हां, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारी रखे जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 672/254/परा./2015/1-3, दिनांक 29.05.2015 एवं पत्र क्रमांक 719/275/परा./2017/1-3, दिनांक 30.05.2017 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए है। **जानकारी पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र अनुसार है। विभागों द्वारा समय-समय पर की गई मांग के अनुसार व्यावसायिक सेवाओं हेतु भी विभागीय बजट में प्रावधान किया जाता है। (ख) प्रश्नांश "ख" की **जानकारी विभागों से संकलित** की जा रही है।**]** (क) जी हां, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारी रखे जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 672/254/परा./2015/1-3, दिनांक 29.05.2015 एवं पत्र क्रमांक 719/275/परा./2017/1-3, दिनांक 30.05.2017 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए है। **जानकारी पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र अनुसार है। विभागों द्वारा समय-समय पर की गई मांग के अनुसार व्यावसायिक सेवाओं हेतु भी विभागीय बजट में प्रावधान किया जाता है। (ख) प्रदेश में वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में विभिन्न विभागो में प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये अधिकारी/कर्मचारी की संख्या, वित्त विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति/वित्त विभाग की बिना स्वीकृति की विभागवार एवं पदवार जानकारी संलग्न **"प्रपत्र-अ"** एवं **"प्रपत्र-ब"** अनुसार है।

परिशिष्ट - छः

कृषि विभाग में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी पद के संबंध में।
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

10. (क्र. 576) श्री धरमलाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक की स्थिति में प्रदेश में कृषि विभाग में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कौन-कौन से पद स्वीकृत, रिक्त व भरें हुए हैं? राज्य/जिलेवार जानकारी देवें। (ख) वर्ष 2021 से उपरोक्त अधिकारियों के विरूद्ध कब, किसने, किसको एवं क्या शिकायत की तथा इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? क्या जांच अधिकारी/समिति बनाई गई तो उनके निष्कर्ष क्या थे? वर्षवार, शिकायतवार जानकारी देवें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [प्रश्नांश (क) एवं (ख) की **जानकारी** संकलित की जा रही है।**]** (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार** है। (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है।

प्रदेश में हुई नक्सली घटनाएं।
[गृह]

11. (क्र. 585) डॉ. चरण दास महंत : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिसंबर, 2023 से जून, 2024 की अवधि में प्रदेश में कितनी नक्सली घटनाएं एवं नक्सली-पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं किस-किस जिले के किस थाना क्षेत्र में हुई हैं ? जानकारी घटनावार देवें? (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार नक्सली घटनाओं एवं मुठभेड़ में सुरक्षाबल के कितने जवान शहीद हुए? कितने घायल हुए, कितने नागरिक मारे गये तथा कितने नक्सली मारे गए तथा कितने गिरफ्तार किये गये ,घटनावार बतावें? (ग) 01 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक नक्सलियों से बरामद किये गये अस्त्र-शस्त्रों, गोली बारूद तथा अन्य सामग्रियों का वस्तुवार विवरण बताएं? यह सामग्रियां कहां-कहां रखी गई हैं ? (घ) 30 जून, 2024 की स्थिति में कितने नक्सली जेल में है ? इनमें से सजा प्राप्त तथा विचाराधीन की संख्या कितनी-कितनी है?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : [(क) प्रदेश में प्रश्नाधीन अवधि तक कुल 273 नक्सली घटनाएं हुई हैं जिसमें नक्सली-पुलिस मुठभेड़ की 92 घटनाएं शामिल हैं। घटित नक्सली घटनाओं (मुठभेड़ सहित) की जिलेवार व घटनावार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के अनुसार नक्सली घटनाओं एवं मुठभेड़ में सुरक्षाबल के 19 जवान शहीद एवं 88 जवान घायल हुये हैं। उक्त अवधि में माओवादियों द्वारा 34 आम नागरिकों की हत्या की गई, 137 नक्सली मारे गये तथा 171 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। घटनावार जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) 01 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक नक्सलियों से बरामद हथियार तथा अन्य सामग्री का वस्तुवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) 30 जून 2024 की स्थिति में कुल 790 नक्सली जेल में है, इनमें से 25 सजा प्राप्त तथा 765 नक्सली विचाराधीन हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ/ब/स अनुसार है।**]** (क) प्रश्नाधीन अवधि में कुल 273 नक्सली घटनाए हुई है जिसमें नक्सली-पुलिस मुठभेड की 92 घटनाए शामिल है। घटनावार, थानावार, जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख) उक्त नक्सली घटनाओं एवं मुठभेड़ में सुरक्षाबल के 19 जवान शहीद एवं 88 जवान घायल हुये है तथा माओवादियों द्वारा 34 आम नागरिकों की हत्या की गई, 137 नक्सली मारे गये व 401 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। घटनावार विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-द अनुसार है।(ग)जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।(घ) प्रश्नांश अवधि की स्थिति में कुल 790 नक्सली जेल में है इनमें से 25 सजा प्राप्त तथा 765 नक्सली विचाराधीन है।

[पुनरीक्षित उत्तर]

प्रदेश में वैध एवं अवैध प्लाटिंग की जांच ।
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

12. (क्र. 674) श्री राजेश मूणत : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के जिलों में कैलेण्डर वर्ष 2021 से 30 जून 2024 तक कितने वैध एवं अवैध कॉलोनियों की प्लाटिंग की जानकारी विभाग के पास मौजूद है? यदि हां, तो कॉलोनी एवं कॉलोनाईजर का नाम सहित जानकारी देवें। (ख) अवैध प्लाटिंग की कार्यवाही क़े लिए नगरीय सीमा अंतर्गत आयुक्त, नगर पालिक निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत एवं नगरीय निकाय सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्षम अधिकारी निर्धारित है। यदि हाँ तो इन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 2021 से 30 जून 2024 तक अवैध प्लाटिंग पर क्या कार्यवाही की विवरण देवें? यदि नहीं है तो क्यों ? (ग) यदि कोई कॉलोनाईजर शासकीय भूमि को अपनी निजी भूमि के साथ मिलाकर अवैध प्लाटिंग करता है तो उस पर सीधे एफ.आई.आर. की कार्यवाही कराने में क्या कठिनाई आती है?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : [उक्त प्रश्न प्रदेश में वैध एवं अवैध प्लाटिंग से संबंधित है। जिसकी **जानकारी** वृहद स्वरूप के होने के कारण समय-सीमा में **जानकारी** संकलित नहीं की जा सकी। **जानकारी** संकलित कर पृथक से विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध करा दी जायेगी।।**]** (क) जी हां। प्रदेश के जिलों में कैलेण्डर वर्ष 2021 से 30 जून 2024 तक वैध एवं अवैध कॉलोनी एवं कालोनाईजर की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।** (ख) जी हां। अवैध प्लाटिंग की कार्यवाही के लिए नगरीय सीमा अंतर्गत आयुक्त, नगर पालिक निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत एवं नगरीय निकाय सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्षम अधिकारी निर्धारित है। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 2021 से 30 जून 2024 तक अवैध प्लाटिंग पर की गई कार्यवाही की विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।** (ग) यदि कोई कालोनाईजर शासकीय भूमि को अपनी निजी भूमि के साथ मिलाकर अवैध प्लाटिंग करता है तो उस पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही की जा सकती है।

विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के किसानों को खाद् बीज एवं उर्वरक की आपूर्ति
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

13. (क्र. 716) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के कृषकों द्वारा वर्ष 2021-2022 से जून,2024 तक कौन कौन से एवं कितनी-कितनी मात्रा में रसायनिक खाद्, उर्वरक एवं बीज की मांग के विरुध्द कितनी-कितनी मात्रा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हुई? उनमें से निजी संस्थाओं एवं सरकारी संस्थाओं को किस अनुपात में देने का प्रावधान है? किस अनुपात में कितनी कितनी मात्रा में किस दर पर निजी संस्थाओं को उपलब्ध कराया गया? इन निजी संस्थाओं द्वारा किसानों को कितने मूल्यों पर विक्रय किया गया? जानकारी वर्षवार अलग अलग बतावें? (ख.) प्रश्नांंक ''क'' किसानों की मांग के अनुरुप कितनी कितनी मात्रा में रसायनिक खाद्/उर्वरक व बीज की कमी आयी एवं सहकारी संस्था को वितरण की गयी? रासायनिक खाद्/उर्वरक एवं बीज को किसानों को किस-किस दरों पर विक्रय किया गया?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) **जानकारी** संकलित की जा रही है। (ख) **जानकारी** संकलित की जा रही है।।**]** (क) मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित विकासखण्ड मुंगेली तथा पथरिया में वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 (30 जून, 2024 तक) रासायनिक उर्वरकों की मांग एवं केन्द्र सरकार द्वारा की गई आपूर्ति की **जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।** कृषि विभाग द्वारा सहकारी एवं निजी क्षेत्र के लिए आंकलित उर्वरक की मांग के आधार पर पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उर्वरक रेक की सामान्यतः 60 प्रतिशत मात्रा (आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई जाती है) मार्कफेड द्वारा सहकारी समितियों में भण्डारित की जाती है। वर्षवार, सहकारी एवं निजी क्षेत्र को उपलब्ध करायी गई मात्रा एवं अनुपात का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** उर्वरक कंपनियों द्वारा निजी संस्थाओं को विक्रय किये गये उर्वरक की दर तथा निजी संस्थाओं के द्वारा किसानों को विक्रय किये गये उर्वरक की दर का वर्षवार **विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।** प्रश्नांकित अवधि में ही मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड मुंगेली तथा पथरिया की वर्षवार बीज मांग एवं आपूर्ति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द** अनुसार है। कृषि विभाग द्वारा छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. के माध्यम से बीजों की आपूर्ति सहकारी समितियों को की जाती है। बीज निगम अथवा राज्य सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र को बीज की आपूर्ति नहीं की जाती। (ख) प्रश्नांश ''क'' की अवधि में किसानों की मांग के अनुरूप रासायनिक उर्वरक एवं बीज वितरण में कोई कमी नहीं आयी है। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को वितरित की गई उर्वरक की मात्रा व उनकी दरों तथा बीज की मात्रा एवं व उनकी दरों की जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब, प्रपत्र-इ, प्रपत्र-द एवं प्रपत्र-ई अनुसार है।**

बीज निगम द्वारा सामग्रियों का क्रय एवं वितरण।
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

14. (क्र. 767) श्री विक्रम मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीज विकास निगम द्वारा वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि में उर्वरक, बीज, संकर बीज (हाईब्रीड), पेस्टीसाईड, माईक्रो न्यूट्रीयेन्ट, बायो फर्टिलाईजर क्रय किस प्रक्रिया के अंर्तगत कितनी मात्रा एवं राशि का किया गया ? क्या क्रय की गई सामग्रियों की नोटीफाईड (अधिसूचित) प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण की शर्त रखी गई थी? वर्षवार, जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार किन-किन सामग्रियों के क्रय पश्चात गुणवत्ता परीक्षण नोटीफाईड (अधिसूचित) प्रयोगशाला से नहीं कराया गया है? वर्षवार, सामग्रीवार जानकारी देवें? इन सामग्रियों के लिए कितनी फर्मों को, कितनी राशि का भुगतान किया गया है? वर्षवार जानकारी देवें? (ग) क्रय की गई सामग्रियों का वितरण या विक्रय कितने हितग्राहियों को किया गया ? निःशुल्क, वितरण की दशा में कितने हितग्राहियों को किया गया ? (घ) विभाग की क्रय प्रक्रिया के विरूद्ध प्राप्त सामग्री से संबंधित फर्मों को बिल भुगतान के लिए किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) **जानकारी** संकलित की जा रही है। (ख) **जानकारी** संकलित की जा रही है। (ग) **जानकारी** संकलित की जा रही है। (घ) **जानकारी** संकलित की जा रही है।**]** (क) छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि में उर्वरक, बीज, संकर बीज (हाईब्रीड) पेस्टीसाईड, माईको न्यूटीयेन्ट, बायोफर्टिलाईजर की आपूर्ति कृषि विभाग एवं अन्य विभागों के मांग अनुसार आर.सी.ओ .में उल्लेखित नियम एवं शर्तें अनुसार किया जाता है। आपूर्ति किये गये सामग्री की मात्रा एवं राशि की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं प्रपत्र ब अनुसार है।** हां आपूर्ति की गई सामग्रियों की नोटीफाईड (अधिसूचित) प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण की शर्त रखी गई है। (ख) प्रश्नांश (क) की अवधि में कृषि विभाग द्वारा जिन सामग्रियों का क्रय पश्चात गुणवत्ता परीक्षण नोटीफाईड(अधिसूचित) प्रयोगशाला से नही कराया गया है की वर्ष वार, फर्मवार भुगतान की गई राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स, प्रपत्र-द, प्रपत्र-इ एवं प्रपत्र-ई अनुसार है।** प्रश्नांश (क) की अवधि में उद्यानिकी विभाग द्वारा जिन सामग्रियों का क्रय पश्चात गुणवत्ता परीक्षण नोटीफाईड(अधिसूचित) प्रयोगशाला से नही कराया गया है की वर्ष वार, फर्मवार भुगतान की गई राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-क, प्रपत्र-ख, प्रपत्र-ग, प्रपत्र-घ, प्रपत्र-डं एवं प्रपत्र-च अनुसार है।** (ग) कृषि विभाग द्वारा क्रय की गई सामग्रियों का कृषकों को विक्रय/वितरण एवं निःशुल्क वितरण की सामग्रीवार,किसान संख्यावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-छ, प्रपत्र-ज, प्रपत्र-झ, प्रपत्र-ञ, प्रपत्र-ट एवं प्रपत्र-ठ अनुसार है।** उद्यानिकी विभाग द्वारा क्रय की गई सामग्रियों का कृषकों को विक्रय/वितरण की सामग्रीवार,किसान संख्यावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-क, प्रपत्र-ख, प्रपत्र-ग, प्रपत्र- घ, प्रपत्र-डं एवं प्रपत्र-च अनुसार है।** क्रय सामग्रियों का निःशुल्क वितरण नही किया गया है। (घ) विभाग की क्रय प्रक्रिया के विरूद्ध प्राप्त सामग्री से संबंधित फर्मों को बिल भुगतान के लिए अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जानकारी निरंक है।

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषकों हेतु स्वीकृत ट्रैक्टर
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

15. (क्र. 831) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत तीन वित्तीय वर्षों एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 30 जून, 2024 तक किस योजना के तहत, कितने हितग्राही कृषकों को अनुदान पर ट्रैक्टर स्वीकृत किये गये? क्या कृषकों की अंशराशि (अनुदान) एवं कृषकों की संख्या निर्धारित की गई है? यदि हां, तो कितनी राशि एवं संख्या निर्धारित है? वर्षवार, विकासखण्डवार, जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांक 'क' अंतर्गत कितने किसानों द्वारा ट्रैक्टर हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया? कितने स्वीकृत एवं कितने अस्वीकृत किये गये?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंडरिया, सहसपुर लोहारा एवं कवर्धा विकासखण्डों में विगत तीन वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 30.06.2024 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 624 हितग्राहियों/कृषक समूहों को अनुदान पर ट्रैक्टर स्वीकृत किये गये, वर्षवार, विकासखण्डवार एवं योजनावार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना के कंपोनेंट क्रमांक-3, 4 एवं 6 में कृषक वर्गवार निर्धारित अनुदान की जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्षवार स्वीकृत कार्ययोजना के अंतर्गत कृषक/कृषक समूहों हेतु कंपोनेंट 4 एवं 6 में जिलेवार भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, तथा कंपोनेंट 3 में जिलेवार केवल भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है न की विकासखण्डवार। निर्धारित लक्ष्यों के अधीन पहले आओ पहले पाओ के सिद्वांत पर कृषकों को लाभांवित किया जाता है। वर्षवार, जिलेवार निर्धारित लक्ष्य की जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत ट्रैक्टर हेतु कृषकों/कृषक समूहों द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकृत आवेदन एवं अस्वीकृत/निरस्त आवेदनों की वर्षवार, विकासखण्डवार एवं योजनावार जानकारी संलग्न प्रपत्र-द अनुसार है।**]** (क) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंडरिया, सहसपुर लोहारा एवं कवर्धा विकासखण्डों में विगत तीन वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 30.06.2024 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 624 हितग्राहियों/कृषक समूहों को अनुदान पर ट्रैक्टर स्वीकृत किये गये, वर्षवार, विकासखण्डवार एवं योजनावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना के कंपोनेंट क्रमांक-3, 4 एवं 6 में कृषक वर्गवार निर्धारित अनुदान की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्षवार स्वीकृत कार्ययोजना के अंतर्गत कृषक/कृषक समूहों हेतु कंपोनेंट 4 एवं 6 में जिलेवार भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, तथा कंपोनेंट 3 में जिलेवार केवल भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है न की विकासखण्डवार। निर्धारित लक्ष्यों के अधीन पहले आओ पहले पाओ के सिद्वांत पर कृषकों को लाभांवित किया जाता है। वर्षवार, जिलेवार निर्धारित लक्ष्य की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत ट्रैक्टर हेतु कृषकों/कृषक समूहों द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकृत आवेदन एवं अस्वीकृत/निरस्त आवेदनों की वर्षवार, विकासखण्डवार एवं योजनावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-द अनुसार** है।

[पुनरीक्षित उत्तर]

परिशिष्ट - सात

प्रदेश में किसानों को वितरित की जाने वाली खाद
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

16. (क्र. 832) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को कौन-कौन से खाद वितरित किए जाते हैं? वितरित किए जाने वाले खाद की कुल आवश्यकता प्रतिवर्ष कितनी होती है? वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-2025 में जून 2024 तक की वर्षवार जानकारी देवें? आवश्यकता के अनुरूप खाद की उपलब्धता की मात्रा क्या है? वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी देवें? (ख) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान समय में कौन-कौन से खाद कितने किसानों को वितरित किये गए हैं? आवश्यकता के अनुरूप खाद उपलब्ध कराया गया है या नहीं? यदि नहीं तो कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [(क) **जानकारी** संकलित की जा रही है। (ख) **जानकारी** संकलित की जा रही है।**]** (क) राज्य में यूरिया, डीएपी, एमओपी, एसएसपी तथा एनपीके उर्वरक कृषकों को उपलब्ध कराने निजी एवं सहकारी क्षेत्र के विक्रय स्थलों पर भण्डारित कराये जाते है। वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-2025 (30.06.2024 तक) की अवधि में उर्वरकवार आंकलित मांग एवं भण्डारण का वर्षवार, जिलेवार विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** संचालनालय उद्यानिकी के अंतर्गत संचालित विभिन्न् योजनाओं में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-2025 (30.06.2024 तक) वर्ष कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराये गये जैविक खाद तथा उर्वरकों का वर्षवार, जिलेवार विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ब अनुसार है।** (ख) पंडरिया

विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्डों में खरीफ 2024 (30.06.2024 तक) उर्वरक उपलब्धता तथा कृषकों द्वारा किये गये उठाव तथा कृषक संख्या का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-सअनुसार है।** उक्त अवधि में किसी भी उर्वरक की उपलब्धता में कमी नही रही,अतः शेष जानकारी निरंक है।

रासायनिक उर्वरक, बीज आदि की मांग तथा पूर्ति।
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

17. (क्र. 889) डॉ. चरण दास महंत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में रासायनिक उर्वरक तथा बीज का वितरण लक्ष्य तथा पूर्ति, निजी क्षेत्र एवं सहकारी क्षेत्र का अलग-अलग उर्वरक के प्रकार एवं बीज की प्रजातिवार बताएं? बीज के स्त्रोत एवं मात्राएं भी बताएं? (ख) रासायनिक उर्वरकों तथा बीज की क्रय दरें तथा विक्रय दरें क्या-क्या हैं? (ग) किस प्रकार के उर्वरकों तथा बीजों की पूर्ति किसानों की मांगों के अनुरूप समय पर नहीं की जा सकी और उसके कारण क्या हैं? (घ) खरीफ सीजन समाप्त होने पर रासायनिक उर्वरक तथा बीज की कितनी-कितनी मात्राएं कहां-कहां शेष रही थीं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम): [(क) **जानकारी** संकलित की जा रही है। (ख) **जानकारी** संकलित की जा रही है।(ग) **जानकारी** संकलित की जा रही है। (घ) **जानकारी** संकलित की जा रही है।**]** (क) प्रदेश में खरीफ वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में रासायनिक उर्वरक का निजी एवं सहकारी क्षेत्रवार लक्ष्य, भंडारण एवं वितरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** विभाग द्वारा छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. के माध्यम से सहकारी समितियों में बीजों की आपूर्ति की जाती है। खरीफ वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि., रायपुर द्वारा प्रमाणित बीज की मांग के विरूद्ध उपलब्ध, भण्डारित, वितरित बीज की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** विभाग द्वारा निजी क्षेत्र को बीज की आपूर्ति नहीं की जाती है। (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार रासायनिक उर्वरक एवं प्रमाणित बीज की क्रय तथा विक्रय दरों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र -स एवं प्रपत्र -द अनुसार है।** (ग) प्रश्नांश 'क' अनुसार किसानों की मांग के अनुसार सभी उर्वरकों एवं बीजों की आपूर्ति समय-सीमा में की गई है। अतः शेष जानकारी निरंक है। (घ) खरीफ सीजन 2023 की समाप्ति पर रासायनिक उर्वरक एवं बीज की शेष मात्रा की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र -इ एवं फ अनुसार है।** खरीफ सीजन 2024 में रासायनिक उर्वरक एवं बीज वितरण का कार्य प्रगतिरत् होने के कारण शेष स्कंध की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।

समर्थन मूल्य पर धान-उपार्जन में हानि एवं प्रतिपूर्ति
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

18. (क्र. 937) श्री विक्रम मंडावी : क्या खाद्य मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की योजना में विपणन संघ को खरीफ विपणन वर्ष 2019-2020 से 2023-2024 तक कितनी-कितनी हानि हुई तथा उसकी प्रतिपूर्ति हेतु कितनी-कितनी राशि दी गई, वर्षवार बताएं? हानि के कारण क्या-क्या हैं? (ख) उक्तानुसार जो हानियां हुई है उसमें से केंद्रीय पूल तथा राज्य पूल को परिदत्त चावल के अनुपात में हानि की राशि कितनी-कितनी होती है? क्या केंद्रीय पूल को प्रदत्त चावल के लिए होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति की मांग केंद्र सरकार से की गई है? यदि हां तो कब-कब और यदि नहीं तो क्यों? (ग) धान की तरह क्या चावल उपार्जन पर भी हानि होती है? यदि हां तो उपरोक्त वर्षों में हुई हानि का विवरण तथा कारण बताएं? (घ) क्या चावल के भंडारण के लिए पर्याप्त क्षमता के गोदाम राज्य में उपलब्ध हैं? यदि नहीं तो क्या नये गोदामों का निर्माण कब तक किया जाएगा?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : [(क) **जानकारी एकत्रित** की जा रही है । (ख) **जानकारी एकत्रित** की जा रही है । (ग) **जानकारी एकत्रित** की जा रही है । **]** (क) खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन योजना में विपणन संघ को राशि रूपये 1363.12 करोड़ रूपये की हानि हुई है । उक्त हानि भारत सरकार से स्वीकृत अंतिम लागत दर से वास्तविक व्यय अधिक होने के कारण हुई है । खरीफ वर्ष 2020-21 में अंतिम लागत दर निर्धारण हेतु प्रस्ताव खाद्य विभाग भारत सरकार को भेजा गया है, किंतु अंतिम लागत दर का निर्धारण खाद्य विभाग भारत सरकार से नहीं होने के कारण हानि की जानकारी ज्ञात नहीं हो सकती है । खरीफ वर्ष 2021-22, 2022-23 में अंतिम लागत दर निर्धारण का प्रस्ताव भेजने की कार्यवाही प्रचलित है । खरीफ वर्ष 2023-24 में वर्तमान में धान के निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है । (ख) भारत शासन द्वारा विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजनांतर्गत चावल का उपार्जन राज्य में किया जाता है । कृषकों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन इस योजना का हिस्सा है । 'हानि' का निर्धारण संबंधित खरीफ विपणन वर्ष में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार द्वारा तय चावल की अंतिमीकृत दर एवं वास्तविक व्यय में अंतर के आधार पर होता है । हानि' का निर्धारण धान एवं चावल के लिए अलग-अलग नहीं किया जाता है । उल्लेखनीय है कि प्रदान किए गए चावल पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रावधिक लागत दरों से अधिक व्यय होने की दशा में वास्तविक व्यय के आधार पर अंतिम दर निर्धारण के लिये दावा प्रत्रक प्रेषित किया जाता है। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक के वर्षों में भारत सरकार को प्रेषित दावा पत्रक की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ग) प्रश्नांश 'ग' की जानकारी प्रश्नांश 'ख' अनुसार है । (घ) प्रश्नांश 'घ' की जानकारी विभागीय पत्र दिनांक 19.07.2024 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

परिशिष्ट - आठ

जुलाई, 2024 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - एक

प्रश्न संख्या 2 (क्र. 44) की जानकारी

प्रपत्र–अ

क्र.	खेल मैदान हेतु			खेल सामग्री	
	जिला का नाम	व्यय राशि	स्थान	खेल का नाम	सामग्री
1	सरगुजा	117000	लखनपुर, सीतापुर	गिल्ली–डंडा, पिट्ठुल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो–खो, रस्साकसी, बांटी, बिल्लस, फुगड़ी, गेंड़ी दौड़, भौंरा, 100 मी. दौड़, लंबीकूद, कुश्ती एवं रस्सीकूद	चूना, रस्सी, भौंरा, गिल्ली–डंडा, पिट्ठुल सेट, रस्सा, बांटी, गेंड़ी, स्टॉप वाच, मेजरिंग टेप, क्लेपर इत्यादि
2	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	4798314	225 ग्राम पंचायतों में (खैरागढ़– छुईखदान–गंडई)		
3	दंतेवाड़ा	583900	बड़ेतुमनार, हितामेटा, कासोली, छिन्दनार, बड़ेकारली, जावंगा, विकासखण्ड स्तर गीदम, कुआकोण्डा, समेली, पालनार, कड़मपाल		
4	बालोद	143735	सरदार मैदान बालोद, संस्कार शाला मैदान बालोद, सरयूप्रसाद अग्रवाल मिनी स्टेडियम बालोद, हाई स्कूल मैदान गुंडरदेही,		
5	बेमेतरा	218000	बेमेतरा, बेरला, परपोड़ी नगरपंचायत		
6	जांजगीर चांपा	355990	शा.उ.मा.वि. ढोरला मैदान वि.ख. बलौदा		
7	रायगढ़	57161	नगर पंचायत किरोड़ीमल, खरसिया, धरमजयगढ़		
8	सूरजपुर	45000	रंग मंच मैदान सूरजपुर, स्टेडियम ग्राउंड सूरजपुर		
9	बीजापुर	147000	आंवापल्ली, भोपालपट्टनम, कोगडापारा, भैरमबाबा खेल मैदान, हाई स्कूल मैदान भोपालपट्टनम		
10	कोरबा	1856100	जोन/क्लस्टर/ जिला कोरबा		
11	कांकेर	15762	सेंट माईकल हा.से. स्कूल कांकेर, नरहरदेव स्कूल मैदान कांकेर		
12	रायपुर	982687	1. वि.ख. स्तरीय इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम परसतराई, 2. ज्योदया नगर गातापार, वि.ख.अभनपुर, 3. आडवानी आर्लीकन शा.उ.मा.वि. बीरगांव, 4. शा.उ.मा.वि. नेवरा, 5. मैट्स वि.वि. गुल्लू, 6. नगर पालिका परिषद आरंग, नगर पंचायत चंदखुरी, समोदा, मंदिर हसौद		
13	गरियाबंद	68595	ग्राम पंचायत, जोन एवं जनपद पंचायत गरियाबंद, छुरा, फिंगेश्वर, मैनपुर तथा देवभोग, नगर पालिका गरियाबंद		

अनुभाग अधिकारी
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर. (छ.ग.)

क्र.	खेल मैदान हेतु			खेल सामग्री	
	जिला का नाम	व्यय राशि	स्थान	खेल का नाम	सामग्री
14	धमतरी	543189	1. डॉ. शोभाराम देवांगन एकलव्य खेल परिसर, धमतरी, 2. खेल मैदान रूद्री, 3. अटल बिहारी स्टेडियम, कुरूद, 4. खेल मैदान हसदा, मगरलोड, 5. खेल मैदान छिपली, नगरी ,6. हाईस्कूल खेल मैदान वार्ड 03 आमदी, धमतरी, 7. अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, भखारा, कुरूद		
15	दुर्ग	859119	भिलाई विद्यालय सेक्टर ग्राउण्ड, नगर पालिक निगम चरोदा, शा.उ.मा.वि. पुरई, सेक्टर–2 विद्यालय भिलाई		
16	सुकमा	7950	कोटा, छिन्दगढ़,		
17	सारंगढ़–बिलाईगढ़	17822	मिनी स्टेडियम बरमकेला, विकासखण्ड बरमकेला		
18	जशपुर	1054000	पत्थलगांव, कुनकुरी, कोतबा, जशपुर नगर, बगीचा,		
19	महासमुंद	97986	मिनी स्टेडियम महासमुंद		
20	कोण्डागांव	11508	विकास नगर, स्टेडियम, कोण्डागांव वि.ख. कोण्डागांव		
21	बिलासपुर	7000	जिला खेल परिसर सरकण्डा बिलासपुर		
22	एम.सी.बी	150000	सदभावना स्टेडियम लेदरी		
23	जी.पी.एम	89215	नगर पंचायत गौरेला, वि.ख. गौरेला		
24	संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण रायपुर	2500	रायपुर		
	योग	12229533			

अनुभाग अधिकारी
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर. (छ.ग.)

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़ रायपुर

विषय :– छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल हेतु मैदान निर्माण एवं सामग्री क्रय में व्यय राशि ।
(श्री अजय चन्द्राकर)

प्रपत्र–ब

संभाग का नाम	वित्तीय वर्ष	जिला का नाम	राजीव युवा मितान क्लब द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में उपयोग की गई राशि रू.
रायपुर	2022–23	रायपुर	14687419
रायपुर	2023–24	रायपुर	12955358
रायपुर	2022–23	गरियाबंद	2718223
रायपुर	2023–24	गरियाबंद	8793249
बस्तर	2022–23	दंतेवाडा	1163833
बस्तर	2023–24	दंतेवाडा	1270143
बस्तर	2022–23	बस्तर	10766875
बस्तर	2023–24	बस्तर	12620598
दुर्ग	2022–23	मोहला–मानपुर– अ0चौकी	1866072
दुर्ग	2023–24	मोहला–मानपुर– अ0चौकी	2712732
दुर्ग	2022–23	बालोद	11386970
दुर्ग	2023–24	बालोद	12246630
दुर्ग	2022–23	राजनांदगांव	6652644
दुर्ग	2023–24	राजनांदगांव	8161577
दुर्ग	2022–23	दुर्ग	11323411
दुर्ग	2023–24	दुर्ग	10470998
रायपुर	2022–23	बलौदाबाजार–भाटापारा	8354071.5
रायपुर	2023–24	बलौदाबाजार–भाटापारा	14272672.5
रायपुर	2022–23	धमतरी	6653800
रायपुर	2023–24	धमतरी	6669800
बस्तर	2022–23	बीजापुर	4850127
बस्तर	2023–24	बीजापुर	2037807
बस्तर	2022–23	कोण्डागांव	5658438
बस्तर	2023–24	कोण्डागांव	12552708
बस्तर	2022–23	सुकमा	2870478
बस्तर	2023–24	सुकमा	3274130

प्रपत्र—ब

संभाग का नाम	वित्तीय वर्ष	जिला का नाम	राजीव युवा मितान क्लब द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में उपयोग की गई राशि रू.
बस्तर	2022—23	कांकेर	5913339
बस्तर	2023—24	कांकेर	6773090
बस्तर	2022—23	नारायणपुर	2784464
बस्तर	2023—24	नारायणपुर	2081486
बिलासपुर	2022—23	मुंगेली	8191981
बिलासपुर	2023—24	मुंगेली	10882612
बिलासपुर	2022—23	जांजगीर चांपा	10942011.5
बिलासपुर	2023—24	जांजगीर चांपा	8707020.5
बिलासपुर	2022—23	रायगढ़	13640939
बिलासपुर	2023—24	रायगढ़	12492842
बिलासपुर	2022—23	कोरबा	9371007
बिलासपुर	2023—24	कोरबा	14404463
बिलासपुर	2022—23	सक्ती	3439642
बिलासपुर	2023—24	सक्ती	3554531
बिलासपुर	2022—23	सारंगढ़ बिलाईगढ़	159095
बिलासपुर	2023—24	सारंगढ़ बिलाईगढ़	121600
बिलासपुर	2022—23	गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही	389000
बिलासपुर	2023—24	गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही	3081663
सरगुजा	2022—23	सरगुजा	4713725
सरगुजा	2023—24	सरगुजा	4525807
सरगुजा	2022—23	बलरामपुर	8644907
सरगुजा	2023—24	बलरामपुर	5617816
सरगुजा	2022—23	सूरजपुर	21855440
सरगुजा	2023—24	सूरजपुर	20362081
सरगुजा	2022—23	कोरिया	2746000
सरगुजा	2023—24	कोरिया	3305000
दुर्ग	2022—23	खैरागढ़—छुईखदान—गण्डई	2512942
दुर्ग	2023—24	खैरागढ़—छुईखदान—गण्डई	2574072
दुर्ग	2022—23	बेमेतरा	5761460

संभाग का नाम	वित्तीय वर्ष	जिला का नाम	राजीव युवा मितान क्लब द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में उपयोग की गई राशि रू.
दुर्ग	**2023–24**	बेमेतरा	6496722
दुर्ग	**2022–23**	कबीरधाम	5826250
दुर्ग	**2023–24**	कबीरधाम	7627541
सरगुजा	**2022–23**	जशपुर	10328886
सरगुजा	**2023–24**	जशपुर	16892490
बिलासपुर	**2022–23**	बिलासपुर	9671680
बिलासपुर	**2023–24**	बिलासपुर	19859980
रायपुर	**2022–23**	महासमुन्द	13602540
रायपुर	**2023–24**	महासमुन्द	13770278
सरगुजा	**2022–23**	मन्नेद्रगढ़–चिरमिरी	2938810
सरगुजा	**2023–24**	मन्नेद्रगढ़–चिरमिरी	3273785
	कुल योग		**506829762**

अनुभाग अधिकारी
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर (छ.ग.)

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़ रायपुर

परिशिष्ट - दो

प्रश्न संख्या 3 (क्र. 274) की जानकारी

प्रपत्र–अ

बस्तर संभाग अंतर्गत संचालित वृहद एवं मध्यम उद्योग हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा संबंधी जानकारी

क्र.	जिले का नाम	इकाई का नाम व पता	श्रेणी (मध्यम/ वृहद/ मेगा/ अल्ट्रा मेगा)	संचालन की तिथि	ग्राम का नाम	स्वयं/ अधिग्रहित	अधिग्रहित भूमि का रकबा (हेक्ट. में)		अधिग्रहित निजी भूमि के किसानों की संख्या	प्रभावित परिवारों के लोगों को प्रदत्त नौकरी/मुआवजा		प्रभावित परिवारों के लोगों को लंबित नौकरी/मुआवजा		लंबित प्रकरणों का निराकरण की अद्यतन स्थिति
							निजी	शासकीय		प्रदत्त नौकरी की संख्या	भुगतान की गई मुआवजा राशि	लंबित नौकरी की संख्या	लंबित मुआवजा प्रकरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
1	बस्तर	मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड, ग्राम नगरनार, विकासखंड व जिला जगदलपुर	वृहद	31/08/2023	नगरनार	अधिग्रहित	157.91	107.71	145	140	11749837	5	0	लंबित प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर ली जावेगी।
					कस्तुरी	अधिग्रहित	62.54	5.32	92	91	5031586	1	0	
					आमागुड़ा	अधिग्रहित	43.44	0.17	18	16	6195365	2	0	
					मंगनपुर	अधिग्रहित	25.11	0.81	48	48	6714385	0	0	
					बम्हनी	अधिग्रहित	1.82	0	4	4	123982	0	0	
					नगरनार	अधिग्रहित	26.35	0	119	35	62694155	9	0	
					बीजापुट	अधिग्रहित	19.86	1.26	77	41	47635110	5	0	
					उपनपाल	अधिग्रहित	8.79	14.66	51	64	22245180	8	0	
					चोकावाड़ा	अधिग्रहित	16.53	12.63	26	40	47205463	6	0	
					कस्तुरी	अधिग्रहित	71.29	3.63	165	138	169992280	19	0	
					आमागुड़ा	अधिग्रहित	16.06	4.15	55	47	39775156	11	0	
					मंगनपुर	अधिग्रहित	96.07	3.78	326	136	270161505	21	0	
					माड़पाल	अधिग्रहित	63.79	0.73	233	127	151595155	15	0	
					चोकावाड़ा	अधिग्रहित	0.00	7.20	0	-	-	-	0	
					धनपूंजी	अधिग्रहित	0.00	6.26	0	-	-	-	0	
					कोपागुड़ा	अधिग्रहित	0.00	8.23	0	-	-	-	0	
					गरावण्डकला	अधिग्रहित	0.00	14.23	0	-	-	-	0	
					धनपूंजी	अधिग्रहित	0.00	20.28	0	-	-	-	0	
					करनपुर	अधिग्रहित	0.42	0	6	15	1348620	0	0	
					कस्तुरी	अधिग्रहित	2.44	0	12	7	26485551	13	0	
					मंगनपुर	अधिग्रहित	2.34	0	14	14	28704601	16	0	

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्र.	जिले का नाम	इकाई का नाम व पता	श्रेणी (मध्यम/वृहद/मेगा/अल्ट्रा मेगा)	संचालन की तिथि	ग्राम का नाम	स्वयं/अधिग्रहित	अधिग्रहित भूमि का रकबा (हेक्ट. में)		अधिग्रहित निजी भूमि के किसानों की संख्या	प्रभावित परिवारों के लोगों को प्रदत्त नौकरी/मुआवजा		प्रभावित परिवारों के लोगों को लंबित नौकरी/मुआवजा		लंबित प्रकरणों का निराकरण की अद्यतन स्थिति
							निजी	शासकीय		प्रदत्त नौकरी की संख्या	भुगतान की गई मुआवजा राशि	लंबित नौकरी की संख्या	लंबित मुआवजा प्रकरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
2	बस्तर	मसर्स व्रज मेटालिक्स प्रा.लि, ग्राम रायकोट, वि. ख. तोकापाल, जिला बस्तर (पूर्व नाम नवभारत फ्यूज)	मध्यम	23/03/2005	रायकोट	स्वयं	0.00	0.00	0	0	0	0	0	—
3	दंतेवाड़ा	मेसर्स आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लि., आयरन और बेनिफिकेशन प्लांट, पालनार रोड, किरंदुल	वृहद	01-10-2005	किरंदुल	अधिग्रहित	33.49	0.00	7	16	3217264	0	0	लंबित प्रकरण निरंक है।
योग							**648.25**	**211.05**	**1398**	**979**	**900875195.00**	**131**	**0**	

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र - छ

एनएमडीसी नगरनार संयंत्र में अधिग्रहित ग्रामों की अधिग्रहित वर्षवार बाजार मूल्य मार्गदर्शिका प्रारूप अनुसार बाजार मूल्य मुख्यमार्ग, सिंचित एवं असिंचित की प्रति हेक्टेयर दर निम्नानुसार है:-

प्रति हेक्टेयर दर

अधिग्रहित वर्ष	ग्राम का नाम	गमार	टिकरा	मरहान
2001	नगरनार	182000	150000	140000
2001	कस्तुरी	100000	87500	75000
2001	आमागुड़ा	200000	187000	175000
2001	मंगनपुर	100000	85000	75000

प्रति हेक्टेयर दर

अधिग्रहित वर्ष	ग्राम का नाम	सभी किस्म मुख्यमार्ग पर स्थित	सिंचित			असिंचित		
			कन्हार/गमार	मटासी	टिकरा/मरहान	कन्हार/गमार	मटासी/टिकरा	मरहान
2007	बम्हनी	–	255000	222800	201000	170000	148500	134000
2010	नगरनार	700000	610000	550000	520000	400000	375000	345000
2010	बीजापुट	325000	275000	250000	230000	195000	170000	155000
2010	उपनपाल	325000	275000	250000	230000	195000	170000	155000
2010	चोकावाड़ा	600000	561000	535000	500000	410000	360000	340000
2010	कस्तुरी	900000	700000	625000	570000	460000	410000	380000
2010	आमागुड़ा	1000000	400000	350000	300000	250000	225000	200000
2010	मंगनपुर	1000000	640000	595000	550000	440000	400000	370000
2010	माड़पाल	700000	580000	540000	500000	415000	375000	350000
2010	चोकावाड़ा	600000	561000	535000	500000	410000	360000	340000
2010	धनपुंजी	800000	680000	610000	550000	460000	400000	370000
2010	कोपागुड़ा	1000000	640000	590000	550000	440000	400000	375000
2010	गरावण्डकला	415000	285000	250000	225000	200000	175000	150000
2012	करनपुर	592000	414000	345000	310500	276000	230000	207000

प्रति हेक्टेयर दर

अधिग्रहित वर्ष	ग्राम का नाम	सभी किस्म मुख्यमार्ग पर स्थित	सिंचित	असिंचित
2015	धनपुंजी	4377000	2526500	1684000
2022	कस्तुरी	5233000	2854000	1902000
2022	मंगनपुर	4402000	2608000	1675000

संलग्न:- संबंधित अधिग्रहित वर्ष की बाजार मूल्य मार्गदर्शिका दर की प्रति।

SUB-REGISTRAR
JAGDALPUR BASTAR (C.G.)

मुख्य महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
जगदलपुर

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र -स

1) एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, नगरनार प्रभावित परिवारों को प्रदाय किये गये रोजगार/नौकरी की ग्रामवार जानकारी निम्नानुसार है :—

अधिग्रहित वर्ष	ग्राम का नाम	नौकरी दिया जाना था	प्रदाय नौकरी/रोजगार की संख्या	एक मुश्त राशि प्रदाय किये गये की संख्या
2001	नगरनार	145	140	निरंक
2001	कस्तुरी	92	91	निरंक
2001	आमागुड़ा	18	16	निरंक
2001	मंगनपुर	48	48	निरंक
2007	बम्हनी	04	04	निरंक
2010	नगरनार	49	35	02
2010	बीजापुट	57	41	10
2010	उपनपाल	85	64	12
2010	चोकावाड़ा	55	40	04
2010	कस्तुरी	180	138	11
2010	आमागुड़ा	70	47	10
2010	मंगनपुर	177	136	15
2010	माड़पाल	165	127	10
2012	करनपुर	17	15	02
2022	कस्तुरी	22	07	02
2022	मंगनपुर	38	14	07
योग		1222	963	85

2) एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, नगरनार हेतु भू-अर्जन अधिनियम के तहत् भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर जिला-बस्तर द्वारा प्रस्तावित भूमि का मुआवजा राशि निर्धारित कर एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, नगरनार को भुगतान हेतु सूचित किया गया जिसकी जानकारी ग्रामवार निम्नानुसार है :—

अधिग्रहित वर्ष	ग्राम का नाम	मुआवजा राशि (रूपये में)	अतिरिक्त मुआवजा राशि (रूपये में)	कुल मुआवजा राशि (रूपये में)
2001	नगरनार	85,39,481.00	32,10,356.00	1,17,49,837.00
2001	कस्तुरी	25,72,270.00	24,59,316.00	50,31,586.00
2001	आमागुड़ा	32,46,530.00	29,48,835.00	61,95,365.00
2001	मंगनपुर	35,18,515.00	31,95,870.00	67,14,385.00
2007	बम्हनी	1,23,982.00	निरंक	1,23,982.00
2010	नगरनार	5,29,31,480.00	97,62,675.00	6,26,94,155.00
2010	बीजापुट	4,02,76,980.00	73,58,130.00	4,76,35,110.00
2010	उपनपाल	1,89,88,485.00	32,56,695.00	2,22,45,180.00
2010	चोकावाड़ा	4,12,55,233.00	59.50,230.00	4,72,05,463.00
2010	कस्तुरी	14,35,79,335.00	2,64,12,945.00	16,99,92,280.00
2010	आमागुड़ा	3,38.24.926.00	59,50,230.00	3,97,75,156.00
2010	मंगनपुर	23,45,67,570.00	3,55,93,935.00	27,01,61,505.00
2010	माड़पाल	12,79,60.960.00	2,36,34,195.00	15,15,95,155.00
2012	करनपुर	1,55,610.00	11,93,010.00	13,48,620.00
2022	कस्तुरी	2,64,85.551.00	निरंक	2,64,85,551.00
2022	मंगनपुर	2,87,04,601.00	निरंक	2,87,04,601.00
योग		76,67,31,509.00	13,09,26,422.00	89,76,57,931.00

मुख्य महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
जगदलपुर

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

3) एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, नगरनार के लिए नौकरी हेतु लंबित प्रकरणों की जानकारी ग्रामवार निम्नानुसार है :–

अधिग्रहित वर्ष	ग्राम का नाम	नाबालिग प्रकरण	जिला–प्रशासन को प्रदाय किये गये प्रकरण	निरस्त प्रकरण	कुल लंबित (3 + 4)
1	2	3	4	5	6
2001	नगरनार	निरंक	05	निरंक	05
2001	कस्तुरी	निरंक	01	निरंक	01
2001	आमागुड़ा	निरंक	02	निरंक	02
2001	मंगनपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2007	बम्हनी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2010	नगरनार	02	07	03	09
2010	बीजापुट	02	03	01	05
2010	उपनपाल	निरंक	08	01	08
2010	चोकावाड़ा	निरंक	06	05	06
2010	कस्तुरी	05	14	12	19
2010	आमागुड़ा	निरंक	11	02	11
2010	मंगनपुर	01	20	05	21
2010	गाड़पाल	03	12	13	15
2012	करनपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2022	कस्तुरी	04	09	निरंक	13
2022	गंगनपुर	10	06	01	16
योग		27	104	43	131

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

मुख्य महाप्रबंधक
जिला व्यापार एव उद्योग केन्द्र
जगदलपुर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
जगदलपुर, जिला–बस्तर

परिशिष्ट - तीन

प्रश्न संख्या 4 (क्र. 364) की जानकारी

प्रपत्र

क्रं.	विभाग का नाम	अधिनस्थ निगम, मंडल, आयोग, विभागाध्यक्ष	जानकारी
1.	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	रायपुर वन मंडल, छ.ग. राज्य वन विकास मंडल	निरंक
2	पशुधन विकास विभाग	संचालक, पशु सेवायें छत्तीसगढ़	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 34 है
3.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	उद्योग संचालनालय	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या के संबंध में सीएसआईडीसी से प्राप्त जानकारी अनुसार संख्या 390 अंकित है
		सार्वजनिक उपक्रम	निरंक
		वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	निरंक
		सीएसआईडीसी	निरंक
		राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 2 है
4.	संसदीय कार्य विभाग	–	निरंक
5.	पर्यटन विभाग	छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 221 है एवं होटल प्रबंधन संस्थान में 16 है।
6.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग		30 जून, 2024 के स्थिति में नागरिक आपूर्ति निगम के अंतर्गत नियोजित की संख्या 209 है एवं छत्तीसगढ़ स्टेट हाउसिंग कार्पोरेशन के अंतर्गत नियोजित की संख्या 324 है।
7.	जनसंपर्क विभाग	छत्तीसगढ़ सूचना केन्द्र, नई दिल्ली	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 6 है
		छत्तीसगढ़ संवाद	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 191 है
8.	वाणिज्यिक कर विभाग	छ.ग. स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमि (आबकारी)	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 5873 है
		वाणिज्यिक कर विभाग	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत की संख्या 14 नियोजित है
9	वित्त विभाग	कोष लेखा पेंशन	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 22 है
		संचालनालय पेंशन तथा भविष्य निधि	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत NICSI के माध्यम से नियोजित सिंख्या 02 है
		छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 02 है
10	उच्च शिक्षा विभाग	–	राजकीय विश्वविद्यालयों में पृथक–पृथक 30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 300 है

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रं.	विभाग का नाम	अधिनस्थ निगम, मंडल, आयोग, विभागाध्यक्ष	जानकारी
		छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड, रायपुर	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 77 है
		छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड, रायपुर	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 45 है
31	चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग		निरंक
32	कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग	संचालनालय कृषि	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत निगम मंडलों तथा आयोगों में नियोजित की संख्या 479 है
33	नगरीय प्रशासन विभाग		निरंक
		नगर पालिका निगम, राजनांदगांव	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 326 है
34	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	संचालनालय तकनीकी शिक्षा	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 30 है
		संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 586 है
		छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 9 है
35	सामान्य प्रशासन विभाग	कक्ष–5	30 जून, 2024 के स्थिति में आवासीय आयुक्त कार्यालय/भवन/सदन/निवास विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 124 है छ.ग. प्रशासन अकादमी निमोरा में नियोजित की संख्याा 55 है। छ.ग. नवाचार आयोग में नियोजित की संख्या 4 है।
		कक्ष–2	निरंक
		कक्ष–9	निरंक
		कक्ष–4	निरंक
		कक्ष–8	निरंक
		कक्ष–3	निरंक
		कक्ष–7	निरंक
		कक्ष–6	निरंक
		कक्ष–1	निरंक
		कक्ष–10–11	निरंक
36	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	–	निरंक
37	बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग	–	निरंक
38	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	–	निरंक
39	समाज कल्याण विभाग	–	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत कार्यालय में 122, निगम में 15, मंडल में 10 एवं आयोग में 10 कुल नियोजित की संख्या 157 है
40	परिवहन विभाग	–	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 124 है

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रं.	विभाग का नाम	अधिनस्थ निगम, मंडल, आयोग, विभागाध्यक्ष	जानकारी
41	विमानन विभाग	—	निरंक
42	चिकित्सा शिक्षा	—	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 4302 है
43	संस्कृति विभाग	पुरखौती मुक्तागंन संग्रहालय	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 77 है
44	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग		30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 11 है
		राहत आयुक्त कार्यालय	निरंक
		पुनवार्स आयुक्त कार्यालय	निरंक
45	श्रम विभाग	श्रमायुक्त कार्यालय	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 742 है
46	सहकारिता विभाग	—	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत छ. ग. राज्य निर्वाचन आयोग नियोजित की संख्या 6 है।
47	खनिज साधन विभाग	—	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 74 है
48	महिला एवं बाल विकास विभाग	संचालनालय महिला एवं बाल विकास	निरंक
49	ऊर्जा विभाग	छ.ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 4 है
		केडा	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 510 है
		छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज	30 जून, 2024 के स्थिति में विभाग के अंतर्गत नियोजित की संख्या 22204 है
50	सामान्य एवं जनशिकायत निवारण विभाग		निरंक
51	विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग	—	निरंक

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - चार

प्रश्न संख्या 6 (क्र. 425) की जानकारी

प्रपत्र

प्रश्नांश 'क' की जानकारी—

01 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक अधिरोपित शुल्क या उपकर की जानकारी

स. क्र.	शुल्क या उपकर का विवरण	शुल्क या उपकर अधिरोपित किए जाने का उद्देश्य	शुल्क या उपकर किन–किन चीजों पर लगाई गयी	शुल्क या उपकर का प्रतिशत दर	शुल्क या उपकर कब से अधिरोपित किये गये	शुल्क या उपकर की समयावधि कितनी है ?	30 जून 2024, की स्थिति में कौन–कौन से शुल्क या उपकर प्रभावशील है ?	शुल्क या उपकर से प्राप्त राशि (राशि लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अभिवहन अनुज्ञा शुल्क (वन विकास निगम)	छ.ग. शासन द्वारा नियत शुल्क	ईमारती काष्ठ/ वनोपज का परिवहन	2 चक्का ट्रॉली के लिये 200 रू. 4 चक्का ट्रॉली के लिये 350 रू. 6 चक्के तक वाली ट्रक का या उसके भाग के लिए 500/– प्रति ट्रक 10 चक्का ट्रक के लिये 700 /– 12–14 चक्का ट्रक के लिये 1000/– ट्रेक्टर के लिये 350 /–	अगस्त 2022 से पुनरीक्षित दर	शासन के आगामी आदेश तक	प्रभावशील है।	12.92
2	भूमि भाडा शुल्क (वन विकास निगम)	छ.ग शासन द्वारा नियत शुल्क	काष्ठागार में नियत समयावधि में काष्ठ/वनोपज का उठाव न कराने पर	**1. जनवरी 2024 (1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक)** (अ) काष्ठ 3.63 रू. प्रति घ.मी. प्रति दिन (ब) बांस 5 रू. नो.टन. प्रति दिन (स) जलाऊ चट्टा 44.29 रू. प्रति चट्टा प्रतिमाह **(2) जनवरी 2024 (1 फरवरी 2024 से 31 जनवरी 2025)** (अ) काष्ठ 3.99 रू. प्रति घ.मी. प्रति दिन (ब) बांस 5 रू. नो.टन. प्रति दिन (स) जलाऊ चट्टा 48.73 रू. प्रति चट्टा प्रतिमाह	5 फरवरी 2021	शासन के आगामी आदेश तक	प्रभावशील है।	8.10

स. क्र.	शुल्क या उपकर का विवरण	शुल्क या उपकर अधिरोपित किए जाने का उद्देश्य	शुल्क या उपकर किन–किन चीजों पर लगाई गयी	शुल्क या उपकर का प्रतिशत दर	शुल्क या उपकर कब से अधिरोपित किये गये	शुल्क या उपकर की समयावधि कितनी है ?	30 जून 2024, की स्थिति में कौन–कौन से शुल्क या उपकर प्रभावशील है ?	शुल्क या उपकर से प्राप्त राशि (राशि लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	वनमार्ग शुल्क (वन विकास निगम)	वन मार्गो के रखरखाव हेतु छ.ग. शासन द्वारा नियत शुल्क	वनोपज परिवहन	600 /– प्रति ट्रक तिमाही कुल 116 ट्रक	वर्ष 2011 से	शासन के आगामी आदेश तक	प्रभावशील है।	3.77
4	अभिवहन अनुज्ञा शुल्क (उत्पादन प्रभाग)	परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने के एवज में	1. खनिज. 2फ्लेग,स्टोन,ग्रेनाईट,मार्बल, ब्लास्ट. (गिट्टी) पत्थर,रेत,एवं मुरूम, ईमारती 3.लकड़ी,जलाऊ लकड़ी एंव बास	1. खनिज. 57.00 प्रति टन 2. फ्लेग,स्टोन,ग्रेनाईट,मार्बल,ब्लास्ट, (गिट्टी) पत्थर,रेत,एंव मुरूम, 40.00 प्रति घ.मी. 3.ईमारती लकड़ी,जलाऊ लकड़ी एंव बांस छ: चक्के तक 500.00 प्रति ट्रक छ: चक्के से अधिक किंतु 10 चक्के से कम 700.00 प्रति ट्रक 10 चक्कों से अधिक 1000.00 प्रति ट्रक ट्रेक्टर (1) दो चक्के वाली ट्राली – 200.00 प्रति ट्राली (2) दो चक्कों से अधिक ट्राली – 350.00 प्रति ट्राली बैल गाड़ी या बैंस गाड़ी – 150.00 प्रति गाड़ी	जुलाई 2022 से	समयावधि निर्धारित नही है।	अभिवहन अनुज्ञा शुल्क	25341.83
	योग :–							25366.62

प्रश्नांक ''ख'' की जानकारी

01 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक अधिरोपित शुल्क या उपकर की जानकारी					
स. क्र.	क्या अधिरोपित शुल्क या उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग उनके उद्देश्यों के अनुरूप हुआ ?	यदि हॉ तो		यदि नही तो	
		किन कार्यो में व्यय किया गया	कितनी राशि व्यय किया गया	क्या यह नियम विरूद्ध है ?	यदि नियम विरूद्ध हो तो की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1	हॉ	विभाग/ निगम की आय में शामिल किया गया है	निरंक	विभाग/ निगम के प्रावधानों के अनुरूप है ।	निरंक

विभाग का नाम– कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग

प्रश्नांश 'क' की जानकारी–

01 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक अधिरोपित शुल्क या उपकर की जानकारी

स. क्र.	शुल्क या उपकर का विवरण	शुल्क या उपकर अधिरोपित किए जाने का उद्देश्य	शुल्क या उपकर किन–किन चीजों पर लगाई गयी	शुल्क या उपकर का प्रतिशत दर	शुल्क या उपकर कब से अधिरोपित किये गये	शुल्क या उपकर की समयावधि कितनी है ?	30 जून 2024. की स्थिति में कौन–कौन से शुल्क या उपकर प्रभावशील है ?	शुल्क या उपकर से प्राप्त राशि (राशि लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मंडी शुल्क	मंडी समितियां निगमित निकाय है। मंडियो की आय का मुख्य स्त्रोत कृषि उपज के क्रय–विक्रय से प्राप्त होने वाला मंडी शुल्क ही है और मंडी समितिया इस प्राप्त मंडी शुल्क से कृषको तथा मंडी कृत्यकारियो के हित मे आवश्यक सुविधायें तथा अधोसंरचनायें विकसित करती है तथा प्राप्त मंडी शुल्क का 50 प्रतिशत छ०ग० राज्य कृषि विपणन बोर्ड को राज्य विपणन विकास निधि मे अंशदान के रूप मे देती है। छ०ग० राज्य कृषि विपणन बोर्ड की आय का मुख्य स्त्रोत मंडियो से प्राप्त होने वाला अंशदान ही है और मंडी बोर्ड द्वारा राज्य विपणन विकास निधि से कृषक हित मे फल–सब्जी मंडिया, किसान उपभोक्ता बाजार, हाट बाजार, गौ–सेवा आयोग का 20 प्रतिशत अनुदान तथा विपणन सुविधा हेतु आवश्यक सड़क तथा पुल–पुलिया इत्यादि कार्य किये जाते है। मंडी बोर्ड एवं मंडी समितियों द्वारा अपने पदस्थ अधिकारियो / कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन, ग्रेज्युटी इत्यादि का भुगतान भी अपनी स्वयं की आय से किया जाता है।	छ.ग. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क. 24 सन् 1973) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की अनुसूची में उल्लेखित अधिसूचित कृषि उपजी के विक्रय पर धान्य (धान) धान (पोहा प्रसंस्करण के उपयोग हेतु)	1. मंडी शुल्क–3 कृषक कल्याण शुल्क–2 2. मंडी शुल्क–1.5 कृषक कल्याण शुल्क–0.5 3. मंडी शुल्क–1	1. 01.12.2021 से 2. 13.03.2024 से 3. 27.05.2017 से	1. आगामी आदेश तक 2. आगामी आदेश तक 3. 12.03.2024	1. प्रभावशील नहीं 2. मंडी शुल्क–1.5 कृषक कल्याण शुल्क–0.5 3. मंडी शुल्क–1.5 कृषक कल्याण शुल्क–0.5 दिनांक 13.03.2024 से	01.01.2024 से जून 2024 तक राशि 31,517.74 लाख रू. मंडी शुल्क प्राप्त हुआ। 01.01.2024 सें जून 2024 तक राशि 1799.49 लाख रू. कृषक कल्याण शुल्क प्राप्त हुआ।
	कृषक कल्याण शुल्क		अन्य धान्य (गेहुँ, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी आदि) दलहन, तिलहन, स्वापक गन्ना चटनी मसाले अन्य वस्तुएँ वनोपज अन्य वस्तुएँ	मंडी शुल्क–1 कृषक कल्याण शुल्क–0.5	01.12.2021 से	आगामी आदेश तक	मंडी शुल्क–1 कृषक कल्याण शुल्क–0.5	
			आयातित दलहन, तिलहन तथा गेहुं पर	पूर्णतः छूट	23.03.2022 से	31.03.2024 तक	मंडी शुल्क–1 कृषक कल्याण शुल्क–0.5 दिनांक 01.04.2024 से	
			फल, सब्जियां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	

प्रश्नांक "ख" का उत्तर					
विभाग का नाम– कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग					
01 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक अधिरोपित शुल्क या उपकर की जानकारी					
स. क्र.	क्या अधिरोपित शुल्क या उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग उनके	यदि हों तो		यदि नहीं तो	
		किन कार्यो में व्यय किया गया	कितनी राशि व्यय किया गया	क्या यह नियम विरूद्ध है ?	यदि नियम विरूद्ध हो तो की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1	हों	स्थापना व्यय	3340.35		
		निर्माण व्यय	5804.65	नियमानुसार है	नियमानुसार होने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
		बोर्ड शुल्क	9.00		
		सुरक्षित निधि	1408.74		
		आरक्षित निधि	1446.60		
		सड़क विकास निधि	15931.76		
		अन्य व्यय	2608.09		
		योग	30549.2		

विभाग का नाम– वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

प्रश्नांश 'क' की जानकारी–

01 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक अधिरोपित शुल्क या उपकर की जानकारी

स. क्र.	शुल्क या उपकर का विवरण	शुल्क या उपकर अधिरोपित किए जाने का उद्देश्य	शुल्क या उपकर किन–किन चीजों पर लगाई गयी	शुल्क या उपकर का प्रतिशत दर		शुल्क या उपकर कब से अधिरोपित किये गये	शुल्क या उपकर की समयावधि कितनी है ?	30 जून 2024, की स्थिति में कौन–कौन से शुल्क या उपकर प्रभावशील है ?		शुल्क या उपकर से प्राप्त राशि (राशि लाख में)
1	2	3	4	5		6	7	8		9
1	लेखाशीर्ष 1475–200 समितियों, फार्मो का पंजीयन, नकल, अचल संपत्ती अर्जन, अंतरण का अनुमति शुल्क, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने का शुल्क शासकीय चालान से प्राप्त होता है।	समितियों, फार्मो का पंजीयन, संशोधन, नकल, अचल संपत्ती अर्जन, अंतरण का अनुमति शुल्क, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने का शुल्क प्राप्त होता है।	समितियों, फार्मो का पंजीयन, संशोधन, नकल, अचल संपत्ती अर्जन, अंतरण का अनुमति शुल्क, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने का शुल्क प्राप्त होता है।	1. समिति पंजीयन 2. महिला मंडल 3. महिला स्वयं सहायता समूह 4. नवयुवक मंडल 5. समिति संशोधन 6. फर्म पंजीयन 7. फर्म परिवर्तन 8. धारा 27/28 अंतर्गत वार्षिक शुल्क	5000/– 1000/– 500/– 1000/– प्रत्येक संशोधन हेतु 1000/– 672/– 128/– 2000/–	ुल्क वर्ष 2017 से प्रभावशील है।	निश्चित नहीं है आवेदन आने पर ली जाती है।	1. समिति पंजीयन 2. महिला मंडल 3. महिला स्वयं सहायता समूह 4. नवयुवक मंडल 5. समिति संशोधन 6. फर्म पंजीयन 7. फर्म परिवर्तन 8. धारा 27/28 अंतर्गत वार्षिक शुल्क	5000/– 1000/– 500/– 1000/– प्रत्येक संशोधन हेतु 1000/– 672/– 128/– 2000/–	295 लाख

टीपः विभाग द्वारा कर/उपकर अधिरोपित नहीं किया जाता है। शासकीय विभागीय लेखाशीर्ष में चालान के माध्यम से शुल्क प्राप्त की जाती है।

प्रश्नांक "ख" का उत्तर					
विभाग का नाम– वाणिज्य एवं उद्योग विभाग					
01 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक अधिरोपित शुल्क या उपकर की जानकारी					
स. क्र.	क्या अधिरोपित शुल्क या उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग उनके उद्देश्यों के अनुरूप हुआ ?	यदि हॉ तो		यदि नही तो	
		किन कार्यो मे व्यय किया गया	कितनी राशि व्यय किया गया	क्या यह नियम विरूद्ध है ?	यदि नियम विरूद्ध हो तो की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1	इस कार्यालय के अंतर्गत प्राप्त शुल्क की राशि शासकीय चालान लेखा शीर्ष 1475–200 के अंतर्गत प्राप्त होती है। प्राप्त विभागीय राशि का उपयोग विभाग द्वारा व्यय नहीं किया जाता है। अतः जानकारी निरंक है।	कॉलम 2 के अनुक्रम में 3 की जानकारी निरंक है।	कॉलम 3 के अनुक्रम में 4 की जानकारी निरंक है।	विभाग को विभागीय लेखा शीर्ष में प्राप्त चालान के शुल्क को विभागीय व्यय करने का अधिकार नहीं होने से जानकारी निरंक है।	`कॉलम 5 के अनुक्रम में 6 की जानकारी निरंक है।
टीपः विभाग द्वारा कर/उपकर अधिरोपित नहीं किया जाता है। शासकीय विभागीय लेखाशीर्ष में चालान के माध्यम से शुल्क प्राप्त की जाती है।					

प्रश्नांश 'क' की जानकारी–

(I)– लेखा शीर्ष 0029–भू–राजस्व अतर्गत दिनाक 01 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक चार प्रकार के उपकर लिये गये है।

क– पंचायत उपकर

ख– शाला भवन उपकर

ग– अधोसरचना विकास उपकर

घ– पर्यावरण उपकर

(II)– पंचायत उपकर लगान का 50 प्रतिशत लिया जाता है। शाला भवन उपकर 6 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 3.75 प्रति हेक्टयर तथा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति से 10 हेक्टेयर से अधिक पर उपकर लिया जाता है। राज्य में विकास गतिविधियों एवं पर्यावरण सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में वृद्धि हेतु दिनाक 26 मई 2005 को छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम 2005 बनाया गया।

अधोसंरचना विकास उपकर

1–कोयले, लौह अयस्क, लाईम स्टोन, बाक्साईट तथा डोलोमाईट खनि पटट्टो के अत्तर्गत।

2– उपरोक्त (1) के अलावा खनि पट्टो के अतर्गत आच्छादित भूमि पर

3– उपरोक्त (1) तथा (2) के अंतर्गत आच्छादित भूमि के अलावा भूमि पर

पर्यावरण उपकर

1– कोयले, लौह आवरक, लाईम स्टोन, बाक्साईट तथा डोलोमाईट खनिपटटों के अंतर्गत

2– उपरोक्त (1) के अलावा खनि पट्टो के अतर्गत आच्छादित भूमि पर ।

3– उपरोक्त (1) तथा (2) के अतर्गत आच्छादित भूमि के अलावा भूमि पर।

(III) – पंचायत उपकर एवं शाला भवन उपकर वर्ष 2000 के पूर्व से निर्धारित है। 26 मई 2005 से 15 जून 2015 तक अधोसरचना विकास एव पर्यावरण उपकर की दर 5 प्रतिशत थी। 16 जून 2015 से 14 अक्टूबर 2019 तक अधोसंरचना विकास एव पर्यावरण उपकर की दर 7. 50 प्रतिशत थी। 15 अक्टूबर 2019 से अधोसरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की दर 11. 25 प्रतिशत है

(IV)– वर्तमान में उक्त चारो उपकर प्रभावशील है।

(V)– 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक प्राप्त हुई राशि –
पंचायत उपकर में राशि रु 42688 हजार (चार करोड छब्बीस लाख अठासी हजार) शाला भवन उपकर में राशि रु. 2091 हजार (बीस लाख इक्यान्नवे हजार)

पर्यावरण उपकर में राशि रु. 1003677 (एक अरब छत्तीस लाख सत्तर हजार) अधोसंरचना विकारा उपकर में राशि रु. 1068296 (एक अरब छह सौ बयासी लाख छियान्नवे हजार)

(VI)—अधोसंरचना विकास उपकर एवं पर्यावरण उपकर के निधि का उपयोग निम्नलिखित गतिविधियों के संबंध में राज्य शासन द्वारा किया जाता है—

(क) राज्य में अधोसरचना कार्य तथा बिजली, राड़क, पुल, पीने के पानी की आपूर्ति, सिंचाई, भण्डारगृह, सामुदायिक भवन इत्यादि के निर्माण एवं रखरखाव के प्रयोजन हेतु।

(ख) मैदानी अधिकारियों के लिए आवास एव कार्यालय भवन हेतु।

(ग) शैक्षणिक, कौशल विकास एवं रोजगार हेतु, जिसमे खेलकूद की गतिविधियों से सबंधित विकास कार्य सम्मिलित है।

(घ) पर्यावरण के विकास संबंधी कार्य हेतु कुल कोष का न्यूनतम 50 प्रतिशत होगा परन्तु निधि का न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिये अनिवार्य रूप से व्यय किया जायेगा ।

प्रश्नांश 'ख' की जानकारी—

उक्त अधिरोपित अधोसंरचना विकास उपकर एव पर्यावरण उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग राजस्व विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार उनके उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है। 01 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक कोई भी व्यय नहीं किया गया है।

प्रश्नांश 'क' की जानकारी–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् दिनांक 01.01.2024 से 30.06.2024 तक श्रमिक उपकर (Labour Cess), की वसूली श्रमिकों के कल्याण हेतु, सड़क एवं पुलों के निर्माण तथा अनुरक्षण कार्यों से 1% (सम्पादित कार्य मूल्य) की दर से, संबंधित ठेकेदारों के देयकों से की गयी हैं। समयावधि 06 माह की हैं। दिनांक 30.06.2024 की स्थिति में श्रमिक उपकर प्रभावशील हैं। उक्त अवधि में (01.06.2024 से 30.06.2024) श्रमिक उपकर की राशि रू 5.27 करोड़ प्राप्त हुई हैं एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत् दिनाँक 1 जनवरी, 2024 से 30 जून, 2024 तक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर 01 प्रतिशत् की दर से निर्माण कार्यों के देयकों पर अधिरोपित किया गया है उक्त अवधि में कुल 2.84 करोड़ उपकर की राशि प्राप्त हुई।

प्रश्नांश 'ख' की जानकारी–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् श्रमिक उपकर से प्राप्त राशि श्रम विभाग में प्रतिमाह जमा कर दी जाती है। इस राशि का उपयोग श्रम विभाग द्वारा किया जाता हैं एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत् अधिरोपित उपकर की समस्त राशि सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के खाते में जमा की जाती है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

प्रश्नांश 'क' की जानकारी–

(राशि लाख़ रूपये में)

01 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक अधिरोपित शुल्क या उपकर की जानकारी								
स.क्र.	शुल्क या उपकर का विवरण	शुल्क या उपकर अधिरोपित किए जाने का उद्‌देश्य	शुल्क या उपकर किन–किन चीजों पर लगाई गयी	शुल्क या उपकर का प्रतिशत दर	शुल्क या उपकर कब से अधिरोपित किये गये	शुल्क या उपकर की समयावधि कितनी है?	30 जून 2024 की स्थिति में कौन–कौन से शुल्क या उपकर प्रभावशील है?	शुल्क या उपकर से प्राप्त राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	जन्म एवं मृत्यु पंजीयन शुल्क	विलंबित पंजीयन, अभिलेख तलाशी, शास्ति	जन्म एवं मृत्यु की घटना के पंजीयन हेतु	निरंक	जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 के तहत 1969 से निरंतर	जन्म एवं मृत्यु के दौरान	विलंबित पंजीयन, अभिलेख तलाशी, शास्ति	3.61

प्रश्नांश 'ख' की जानकारी–

01 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक अधिरोपित शुल्क या उपकर की जानकारी					
स.क्र.	क्या अधिरोपित शुल्क या उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग उनके उद्‌देश्यों के अनुरूप हुआ?	यदि हां तो		यदि नहीं तो	
		किन कार्यों में व्यय किया गया	कितनी राशि व्यय किया गया	क्या यह नियम विरूद्ध है?	यदि नियम विरूद्ध हो तो की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जन्म एवं मृत्यु पंजीयन से प्राप्त शुल्क शासकीय मद 1475 में जमा किया जाता है।	निरंक	निरंक	–	–

प्रश्नांश 'क' की जानकारी–

क.	शुल्क	उद्देश्य	दर	1 जनवरी से 30 जून 2024 तक प्राप्त राशि
1	महंत सर्वेश्वर दास ग्रन्थालय सदस्यता शुल्क	सदस्यता शुल्क	100/– प्रति सदस्य	5,700/–
2	महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय प्रवेश शुल्क	प्रवेश शुल्क	05/– प्रति दर्शक	65,120/–
3	कलावीथिका आरक्षण शुल्क	आरक्षण शुल्क	5,000/– प्रतिदिन	निरंक
4	मुक्ताकाशी मंच आरक्षण शुल्क	आरक्षण शुल्क	10,000/– प्रतिदिन	20,000/–
5	सभागार आरक्षण शुल्क	आरक्षण शुल्क	15,000/– प्रतिदिन	15,000/–
6	पुरखौती मुक्तांगन, प्रवेश शुल्क	प्रवेश शुल्क	• 12 वर्ष से अधिक आयु 30/– प्रति दर्शक • 03 से 12 वर्ष आयु वर्ग 20/– प्रति दर्शक • ई–कार्ट शुल्क 50/– प्रति व्यक्ति	34,02,010/–

प्रश्नांश 'ख' की जानकारी–

उत्तर (ख) में उल्लेखित सरल कमांक 01 से 05 तक प्राप्त शुल्क बजट शीर्ष 0202– संस्कृति एवं पुरातत्व, 04–अभिलेखागार एवं संग्रहालय, 800–अन्य प्राप्तियों मद में जमा की जाती है। सरल कमांक 06 पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय, उपरवारा, नवा रायपुर में पर्यटकों से प्रवेश शुल्क के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय में पर्यटकों की सुविधा हेतु संचालित ई–रिक्शा (7नग) चालकों के वेतन एवं पुरखौती मुक्तांगन निर्माण व संचालन समिति के सदस्यों के आवागमन में दिनांक 01 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक राशि रू. 4,57,300/– व्यय उद्देश्यों के अनुरूप किया गया है।

प्रश्नांश 'क' की जानकारी–

राशि लाख रू. में

स. क्र.	शुल्क या उपकर का विवरण	शुल्क या उपकर अधिरोपित किए जाने का उद्देश्य	शुल्क या उपकर किन–किन चीजों पर लगाई गयी	शुल्क या उपकर का प्रतिशत दर	शुल्क या उपकर कब से अधिरोपित किये गये	शुल्क या उपकर की समयावधि कितनी है ?	30 जून 2024, की स्थिति में कौन–कौन से शुल्क या उपकर प्रभावशील है ?	शुल्क या उपकर से प्राप्त राशि (राशि लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	विशेष आबकारी शुल्क (अधोसंरचना उन्नयन हेतु)	ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड–19 महामारी के फैलाव के विरूद्ध राशि की आवश्यक्ता की पूर्ति हेतु	देशी मदिरा के फुटकर विक्रय दर पर	10/– प्रतिनग पर (बोतल/अद्धा एवं पाव)	दिनांक 02.05. 2020 से	दिनांक 01.01. 2024 से 31. 03. 2024 तक	नहीं	21210.88	माह मई 2024 तक जमा
2	अतिरिक्त आबकारी शुल्क (गौठान हेतु)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गौठान के विकास के रखरखाव हेतु	देशी एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट) (न्यूनतम ड्यूटी दर) के फुटकर विक्रय दर पर	10/– प्रतिनग पर (बोतल/अद्धा एवं पाव)	दिनांक 01.04. 2020 से	दिनांक 01.01. 2024 से 31. 03. 2024तक	नहीं	27025.29	माह मई 2024 तक जमा
3	अतिरिक्त आबकारी	शिक्षा एवं स्वास्थ्य के	न्यूनतम ड्यूटी दर	न्यूनतम ड्यूटी दर की विदेशी	दिनांक 01.04.	दिनांक 01.01.	नहीं	13476.17	माह मई

	शुल्क (शिक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु)	क्षेत्र में महत्वाकांक्षी योजनाओं के वित्त पोषण हेतु	की विदेशी मदिरा तथा समस्त प्रकार की बीयर (माल्ट) के फुटकर विक्रय दर पर तथा न्यूनतम ड्यूटी दर के अतिरिक्त समस्त दर की विदेशी मदिरा पर पृथक–पृथक दर पर	मदिरा (स्प्रिट) तथा समस्त प्रकार की बीयर (माल्ट) पर 10/– प्रति नग न्यूनतम ड्यूटी दर के अतिरिक्त समस्त दर की विदेशी मदिरा (स्प्रिट) पर 20/– प्रति नग	2021 से	2024 से 31. 03. 2024तक			2024 तक जमा
4	अधोसंरचना उन्नयन शुल्क	अधोसंरचना के निर्माण एवं उन्नयन हेतु	देशी/विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) पर अनुपातिक रूप से बोतल/अद्धा/पाव में 1:2:4 के अनुपात में	देशी मदिरा प्रति बोतल र 80/– की दर से अद्धा प्रति नग 40/– की दर से पाव प्रति नग 20/– की दर से विदेशी मदिरा स्प्रिट प्रति 120/– मैग्नम 80/–कार्ट बोतल 40/– पिंट बोतल 20/– निप बोतल की दर से माल्ट मदिरा 20/– कार्ट 10/– पिंट की दर से	दिनांक 01.04. 2024 से	दिनांक 01.04. 2024 से 30 जून 2024 तक	नहीं	30045.89	एक अप्रैल 2024 से जून 2024 तक

प्रश्नांश 'ख' की जानकारी–

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग से संबंधित नहीं है।

प्रश्नांश 'क' की जानकारी–

राशि लाख रू. में

स. क्र.	शुल्क या उपकर का विवरण	शुल्क या उपकर अधिरोपित किए जाने का उद्देश्य	शुल्क या उपकर किन–किन चीजों पर लगाई गयी	शुल्क या उपकर का प्रतिशत दर	शुल्क या उपकर कब से अधिरोपित किये गये	शुल्क या उपकर की समयावधि कितनी है ?	30 जून 2024, की स्थिति में कौन–कौन से शुल्क या उपकर प्रभावशील है ?	शुल्क या उपकर से प्राप्त राशि (राशि लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	दस्तावेजों के पंजीयन पर अधिरोपित उपकर	ग्रामीण विकास निधि एवं छ.ग. रोजगार मिशन तथा राजीव मितान क्लब योजना से संबंधित प्रयोजनों के लिए	विक्रय, दान, भोग बंधक या 30 वर्ष या अधिक कालावधि के पट्टा विलेखों पर	स्टांप शुल्क की रकम का 12 प्रतिशत	5 प्रतिशत उपकर राज्य गठन से पूर्व से प्रचलित + 7 प्रतिशत अतिरिक्त उपकर दिनांक 22.02. 2023 से प्रभावशील	प्रभावशीलता दिनांक से निरंतर	दस्तावेजों के पंजीयन पर अधिरोपित उपकर	01 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक की अवधि में उपकर शुल्क के रूप में कुल 6762.99 लाख की राशि प्राप्त	

प्रश्नांश 'ख' की जानकारी–

स. क्र.	क्या अधिरोपित शुल्क या उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग उनके उद्देश्यों के अनुरूप हुआ ?	यदि हॉ तो		यदि नहीं तो	
		किन कार्यो में व्यय किया गया	कितनी राशि व्यय किया गया	क्या यह नियम विरूद्ध है ?	यदि नियम विरूद्ध हो तो की गई कार्यवाही
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	• छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी विभाग द्वारा छ.ग. उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2022 के द्वारा दिनांक 22.02.2023 को जारी अधिसूचना के तहत उपकर से प्राप्त राजस्व का विभाजन विहित रीति से किया जायेगा। • इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम की जानकारी पंजीयन विभाग को नहीं है। • वित्तीय वर्ष में प्राप्त 5 प्रतिशत उपकर की राशि को, आगामी वित्तीय वर्ष में **'उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण'** मद के व्यय लेखे में अंतरण की कार्यवाही वित्त विभाग की स्वीकृति से की जाती है। • शेष 7 प्रतिशत उपकर 'छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन तथा राजीव मितान क्लब योजना' से संबंधित प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जाता है। वर्तमान में उक्त राशि के अंतरण हेतु पंजीयन विभाग में व्यय लेखे में अंतरण संबंधी कोई भी लेखा शीर्ष सृजित नही है।	कॉलम (2) में अंकित तथ्यों के तहत् पंजीयन विभाग द्वारा जानकारी दिया जाना संभव नही है।	कॉलम (2) में अंकित तथ्यों के तहत् पंजीयन विभाग द्वारा जानकारी दिया जाना संभव नही है।	कॉलम (2) में अंकित तथ्यों के तहत् पंजीयन विभाग द्वारा जानकारी दिया जाना संभव नही है।	कॉलम (2) में अंकित तथ्यों के तहत् पंजीयन विभाग द्वारा जानकारी दिया जाना संभव नही है।

प्रश्नांश 'क' की जानकारी–

(राशि लाख रुपये में)

दिनांक 1 जनवरी, 2024 से 30 जून, 2024 तक अधिरोपित शुल्क या उपकर की जानकारी								
स.क्र.	शुल्क या उपकर का विवरण	शुल्क या उपकर अधिरोपित किये जाने का उद्देश्य	शुल्क या उपकर किन-किन चीजों पर लगाई गयी	शुल्क या उपकर का प्रतिशत दर	शुल्क या उपकर कब से अधिरोपित किये गए	शुल्क या उपकर की समयावधि कितनी है?	30 जून, 2024 की स्थिति में कौन-कौन से शुल्क या उपकर प्रभावशील है?	शुल्क या उपकर से प्राप्त राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	जल एवं वायु सम्मति/सम्मति नवीनीकरण शुल्क	प्रक्रिया शुल्क	उद्योग की स्थापना एवं संचालन हेतु	स्लैब अनुसार (सलग्नक- 1)	छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 7 अक्टूबर 2016 से लागू	जल एवं वायु सम्मति/सम्मति नवीनीकरण दिनांक से एक वर्ष	प्रभावशील है	2808.87
2	जीव चिकित्सा अपशिस्ट प्राधिकार/ प्राधिकार नवीनीकरण शुल्क	प्रक्रिया शुल्क	हॉस्पिटल स्थापना एवं संचालन हेतु	स्लैब अनुसार (सलग्नक- 2)	मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 27 जनवरी 1999 से लागू	जीव चिकित्सा प्राधिकार/ प्राधिकार नवीनीकरण दिनांक से एक वर्ष	प्रभावशील है	44.08

प्रश्नांश 'क' की जानकारी–

(राशि लाख रुपये में)

दिनांक 1 जनवरी, 2024 से 30 जून, 2024 तक अधिरोपित शुल्क या उपकर की जानकारी								
स. क्र.	शुल्क या उपकर का विवरण	शुल्क या उपकर अधिरोपित किये जाने का उद्देश्य	शुल्क या उपकर किन-किन चीजों पर लगाई गयी	शुल्क या उपकर का प्रतिशत दर	शुल्क या उपकर कब से अधिरोपित किये गए	शुल्क या उपकर की समयावधि कितनी है?	30 जून, 2024 की स्थिति में कौन-कौन से शुल्क या उपकर प्रभावशील है?	शुल्क या उपकर से प्राप्त राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	श्रम उपकर	श्रम उपकर		श्रम उपकर कुल निर्माण लागत का गणना का 1 प्रतिशत (आवासीय हेतु 1200 रू. प्रति वर्गफुट एवं गैर आवासीय हेतु 1400 रू. प्रति वर्गफुट) की दर से	आवेदन प्राप्ति के पश्चात अधिरोपित किये गये हैं	भवन अनुज्ञा के लिए 30 दिन एवं विकास अनुज्ञा के लिए 60 दिन	–	188.87
2	भवन अनुज्ञा शुल्क	भवन अनुज्ञा		छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 21(3)(ख) के प्रावधान अनुसार एवं 5000रू. प्रति आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क दर से	आवेदन प्राप्ति के पश्चात अधिरोपित किये गये हैं	60 दिन	–	74.45
3	विकास अनुज्ञा शुल्क	विकास अनुज्ञा	उपकर एवं शुल्क		आवेदन प्राप्ति के पश्चात अधिरोपित किये गये हैं	–	–	40.63
4	विकास योजना पुस्तकों/सॉफ्ट कॉपी विक्रय शुल्क	विकास योजना पुस्तकों/सॉफ्ट कॉपी विक्रय		विकास योजना पुस्तक शुल्क 1000 रू. प्रति पुस्तक की दर से एवं साफ्ट कॉपी 50रू. प्रति सी.डी.	आवेदन प्राप्ति के पश्चात अधिरोपित किये गये हैं	–	–	0.58
5	धारा–37 के अंतर्गत अवैध विकास का नियमितिकरण शुल्क	धारा–37 के अंतर्गत अवैध विकास का नियमितिकरण		छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधान अनुसार	आवेदन प्राप्ति के पश्चात अधिरोपित किये गये हैं	–	–	18.25
6	भूमि उपयोग	भूमि उपयोग		200 रू. प्रति	आवेदन प्राप्ति	–	–	21.24

	की जानकारी शुल्क	की जानकारी		आवेदन की दर से	के पश्चात अधिरोपित किये गये हैं			
7	अनधिकृत विकास का नियमितिकरण शुल्क	अनधिकृत विकास का नियमितिकरण		छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम/नियम 2022 में निहित प्रावधान अनुसार	आवेदन प्राप्ति के पश्चात अधिरोपित किये गये हैं	–	–	2684.89
8	उपांतरण शुल्क	उपांतरण		आवेदन शुल्क 5000रू. प्रति हेक्टेयर एवं लेव्ही कर सारणी 16(2) अनुसार	आवेदन प्राप्ति के पश्चात अधिरोपित किये गये हैं	–	–	0.4
9	सूचना के अधिकार अंतर्गत जानकारी प्रदाय करने हेतु शुल्क	सूचना के अधिकार अंतर्गत जानकारी प्रदाय करने हेतु		आवेदन शुल्क 10 रू. एवं प्रथम अपीलीय आवेदन शुल्क 50 रू. प्रति आवेदन तथा प्रतिलिपि शुल्क नियमानुसार	आवेदन प्राप्ति के पश्चात अधिरोपित किये गये हैं	–	–	0.86
10	निविदा शुल्क	निविदा		–		–	–	5.23
				कुल योग				**3035.4**

प्रश्नांश 'ख' की जानकारी–

(राशि लाख रुपये में)

दिनांक 1 जनवरी, 2024 से 30 जून, 2024 तक अधिरोपित शुल्क या उपकर की जानकारी					
स.क्र.	क्या अधिरोपित शुल्क या उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग उनके उद्देश्यों के अनुरूप हुआ है?	यदि हाँ तो		यदि नहीं तो	
		किन-किन कार्यों में व्यय किया गया है	कितनी राशि व्यय किया गया	क्या यह नियम विरुद्ध है?	यदि नियम विरुद्ध हो तो की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जी हाँ	मंडल का स्थापना पर व्यय पर्यावरणीय गतिविधियां एवं मंडल के निर्देशानुसार अन्य व्यय	1585.00	जी नहीं	जी नहीं प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग, मंत्रालय
नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - पाँच

प्रश्न संख्या 7 (क्र. 498) की जानकारी

प्रपत्र–अ

विषय– बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2021 से जून, 2024 तक मंडी बोर्ड में स्वीकृत निर्माण कार्यो की जानकारी

क.	स्वीकृत कार्य का नाम		राशि लाख में	निविदा दर सहित लागत (रू. लाख में)	पूर्ण	अप्रारंभ होने से निरस्त
	धान उपार्जन केन्द्र का नाम	कार्य का नाम				
1	2	3	4	5	6	7
1	जगदीशपुर	200 मी.टन. गोदाम	12.48	12.54	पूर्ण	–
2		नवीन शेड चबूतरा सहित 01 नग	5.00	5.13	पूर्ण	–
3		नवीन शेड चबूतरा सहित 01 नग	5.00	5.13	पूर्ण	–
4		नवीन शेड चबूतरा सहित 01 नग	5.00	5.13	पूर्ण	–
5	चिमरकेल	200 मी.टन. गोदाम	12.48	12.54	पूर्ण	–
6		नवीन शेड चबूतरा सहित	5.00	5.03	पूर्ण	–
7		नवीन शेड चबूतरा सहित	5.00	5.03	पूर्ण	–
8	बरेकेल	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	–	निरस्त
9		पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	6.45	–	निरस्त
10	टेका	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	पूर्ण	–
11		नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.68	पूर्ण	–
12	सरकड़ा	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	–	निरस्त
13	राजाडीहा (राजाडेरा)	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	पूर्ण	–
14		नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.68	पूर्ण	–
15	बेल्दीडीह	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	–	निरस्त
16		पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	6.45	–	निरस्त
17	जेराभरन	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	पूर्ण	–
18	सागुनढाप	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	पूर्ण	–
19	परसवानी	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	पूर्ण	–
20	पेण्ड्रावन	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	–	निरस्त
21	भगतदेवरी	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	–	निरस्त
22		नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.68	–	निरस्त
23	सांकरा	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	–	निरस्त
24		पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	6.45	–	निरस्त
25	सुखीपाली	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	पूर्ण	–
26		नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.68	पूर्ण	–
27	भस्करापाली	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	–	निरस्त
28		नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.68	–	निरस्त
29	धूमाभाठा	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	पूर्ण	–
30		नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.53	पूर्ण	–
31	खरोरा	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	पूर्ण	–
32	गौरटेक	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	–	निरस्त
33	बिछिया	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	पूर्ण	–

क.	स्वीकृत कार्य का नाम		राशि लाख में	निविदा दर सहित लागत (रू. लाख मे)	पूर्ण	अप्रारंभ होने से निरस्त
	धान उपार्जन केन्द्र का नाम	कार्य का नाम				
1	2	3	4	5	6	7
34	बिछिया	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	6.32	पूर्ण	–
35	भूकेल	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	–	निरस्त
36	बडेडाभा	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	पूर्ण	–
37		पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	6.32	पूर्ण	–
38	गढफूलझर	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	पूर्ण	–
39		पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	6.32	पूर्ण	–
40	कुरचुण्डी	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	पूर्ण	–
41		नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.53	पूर्ण	–
42	धामनपुटकुरी	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	पूर्ण	–
43		नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.53	–	निरस्त
44	बाराडोली	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	पूर्ण	–
45		पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	6.32	पूर्ण	–
46	रसोड़ा	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	–	निरस्त
47		पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	6.32	–	निरस्त
48	सल्डीह	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	–	निरस्त
49		पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	6.45	–	निरस्त
50	बडेटेमरी	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	–	निरस्त
51		नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.53	–	निरस्त
52	सिंघनपुर	नवीन शेड चबूतरा सहित	5.00	5.03	पूर्ण	–
53		नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.53	पूर्ण	–
54	बसना	नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.53	–	निरस्त
55		नवीन शेड चबूतरा सहित	5.00	5.03	पूर्ण	
56	पिथौरा	नवीन शेड चबूतरा सहित	5.00	5.13	पूर्ण	–
57	वि.स. क्षेत्र बसना जिला महासमुन्द अंतर्गत बसना– बरौली मार्ग से आमाभवना पहुच मार्ग एवं पुल पुलिया निर्माण कार्य		62.03	64.56	पूर्ण	–
58	वि.स. क्षेत्र बसना जिला महासमुन्द अंतर्गत बसना– बिलाईगढ़ मार्ग रूसुडीपा आरंगी पहुच मार्ग एवं पुल निर्माण कार्य		117.67	122.24	पूर्ण	–
59	वि.स. क्षेत्र बसना जिला महासमुन्द अंतर्गत ग्राम गिधली से ग्राम खरोरा मार्ग पर कल्वर्ट निर्माण कार्य		83.40	87.04	पूर्ण	–
	योग			**588.78**	**37**	**22**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

विषय– बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मंडी समिति निधि से दिनांक 11.07.2024 को स्वीकृत प्रस्तावित कार्यो की जानकारी

क.	जिला	विकास खण्ड	ग्राम	कार्य का नाम	अनु. लागत (लाख में)
1	महासमुन्द	बसना	पौसरा	श्याम मलिक के घर से अल्हादिनि के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 250 मी.	5.90
2	महासमुन्द	बसना	छोटेडाभा	आंगनबाड़ी भवन से रवि साव के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 280 मी.	9.96
3	महासमुन्द	बसना	खरोरा	सरदार के घर से लिम्हाई तालाब तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 280 मी.	9.90
4	महासमुन्द	बसना	सराईपाली	विशाल के घर से नरेश साहू के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 280 मी.	9.92
5	महासमुन्द	बसना	मेदिनीपुर	डीपापारा से चुद्रामणी के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 310 मी.	12.52
6	महासमुन्द	बसना	बंसुला	बंसुला आई. टी. आई से रेशम उद्योग तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 112 मी.	3.97
7	महासमुन्द	बसना	खेमड़ा	सुभाष बारिक के घर से रसिक के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 130 मी.	3.93
8	महासमुन्द	बसना	अंकोरी	ग्राम पंचायत अंकोरी चमरू घर से आत्मा राम से डबरी तालाब तक में सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 330 मी.	12.48
9	महासमुन्द	बसना	बड़ेडाभा	राजेश पटेल घर से अरूण पटेल घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। 105 मी.	3.94
10	महासमुन्द	बसना	पलसापाली	निरंजन घर से सेतकुमार घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 135 मी.	4.96
11	महासमुन्द	बसना	बरोली	पंचायत घर से बाजार पड़ाव तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 120 मी.	4.82
12	महासमुन्द	बसना	सरकण्डा	अरूण घर से पंचायत भवन तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 140 मी.	4.96
13	महासमुन्द	बसना	भैंसाखुरी	कुसीर कुमार घर से मुन्डू घर तक बीच गली से हरिजन मोहल्ला तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 150 मी.	5.03
14	महासमुन्द	बसना	गिधली	दण्ड खेत से मंदिर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 105 मी.	4.00
15	महासमुन्द	बसना	खरोरा	गोंड़ पारा में उरखिंत घर से केन्दवही ताला तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 355 मी.	12.43
16	महासमुन्द	बसना	भदरपाली	मधुसुदन पटेल के घर से शिव मंदिर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 130 मी.	5.03
17	महासमुन्द	बसना	मोहका	आश्रित ग्राम बोहार पारा में स्कूल से अरूण घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 90 मी.	3.60
18	महासमुन्द	बसना	सिघंनपुर	अर्जुन नर्मदा घर से जगदीश के घर से कमल घर तक वार्ड क्र. 09 से 10 तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 139 मी.	4.93

क.	जिला	विकास खण्ड	ग्राम	कार्य का नाम	अनु. लागत (लाख में)
19	महासमुन्द	बसना	छुईपाली	ग्र. पं. भवन से प्रभात कूमार साहू के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 145 मी.	5.01
20	महासमुन्द	बसना	बैगनडीह	पदमन दुकान से गाड़ा पारा तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 215 मी.	7.43
21	महासमुन्द	बसना	गौरटेक	संकरी मार्ग से कुमहारी मार्ग तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 340 मी.	12.51
22	महासमुन्द	बसना	कुम्हारी	पुरनचंद घर से मिला राम घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 135 मी.	5.09
23	महासमुन्द	बसना	खुसरुपाली	ग्राम . पांचायत खंसरूपाली खंगेश्वर घर से गौठान तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 210 मी.	7.10
24	महासमुन्द	बसना	बानी पाली	बस्ती से डेंग डीपा तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 81 मी.	2.48
25	महासमुन्द	बसना	भूंकेल	एन.एच. 53 से गर्ल्स हास्टल तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 120 मी.	4.00
26	महासमुन्द	बसना	गिधापाली	खेलपारा (इन्द्रजीत घर) से डीपा पारा तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 130 मी.	5.01
27	महासमुन्द	बसना	पिपलखुटा	तालाब रास्ता से सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 240 मी.	7.45
28	महासमुन्द	बसना	बरेाली	पोस्ट आफिस से हाट बाजार तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 170 मी.	6.02
29	महासमुन्द	बसना	कुदारी बाहरा	वैष्णव मंदिर से भैंसा दरहा पहुच मार्ग तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 105 मी.	5.01
30	महासमुन्द	बसना	कुरचुण्डी	तीज राम घर से बीच गली तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 140 मी.	4.96
31	महासमुन्द	बसना	कपसाखुटा	केशव घर से फादुराम के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 140मी.	4.96
32	महासमुन्द	पिथौरा	बरेकेल खुर्द	ग्राम पंचायत भवन से लोचन पटेल के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 265 मी.	10.02
33	महासमुन्द	पिथौरा	बल्दीडीह	रूपधर के घर से वाकड़े के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 250 मी.	10.05
34	महासमुन्द	पिथौरा	राजपुर	बेदराम कोसरिया घर से पदुम खुंटे के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 265 मी.	10.09
35	महासमुन्द	पिथौरा	सावित्रीपुर	जीतलाल के घर से अजीत राम के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 210 मी.	7.44
36	महासमुन्द	पिथौरा	गिरना	गोवर्धन प्रधान घर से लाखे राम पटेल घर तक वार्ड न. 03 एवं 06 व 07 में सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 265 मी.	10.08
37	महासमुन्द	पिथौरा	कौड़िया	ग्राम पंचायत कौड़िया में विष्णुराम साहू घर से रंगमंच तिलसाया निषाद घर से बेनीराम घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 212 मी.	7.51
38	महासमुन्द	पिथौरा	कंचनपुर	वार्ड क. 01 व 2,3,4,5,6,7 और 08 तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 300 मी.	12.06
39	महासमुन्द	पिथौरा	जबलपुर	आश्रित ग्राम ताला में लकेश्वर घर से हितेपा घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 140 मी.	4.96

क.	जिला	विकास खण्ड	ग्राम	कार्य का नाम	अनु. लागत (लाख में)
40	महासमुन्द	पिथौरा	ताला	लकेश्वर घर से हितेश घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 65 मी.	2.49
41	महासमुन्द	पिथौरा	जबलपुर	गाड़ाराय के घर से शिव मंदिर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 65 मी.	2.50
42	महासमुन्द	पिथौरा	जबलपुर	अंकुर घर से पंचायत भवन तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 75 मी.	2.53
43	महासमुन्द	पिथौरा	कुदारीदादर	बट वृक्ष से स्कूल तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 66 मी.	2.50
44	महासमुन्द	पिथौरा	झगरेनडीह	शांतिलाल के घर से गुलापी घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 70 मी.	2.48
45	महासमुन्द	पिथौरा	बरनाईदादर	बृजमोहन के घर से गोकुल घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 70 मी.	2.48
46	महासमुन्द	पिथौरा	भिथिडीह	अस्पताल चौक से लोचन पटंल घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 150 मी.	4.98
				योग:–	**291.48**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - छः

प्रश्न संख्या 9 (क्र. 574) की जानकारी

प्रपत्र–अ

वर्ष 2022

क्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी का पदनाम	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	कॉलम–5 में से वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	बिना वित्त विभाग की स्वीकृति से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	परिवहन विभाग	विभागध्यक्ष कार्यालय	आई.टी. विशेषज्ञ	31	31	0	–
			सुरक्षाकर्मी	48	0	48	
			सफाईकर्मी	48	0	48	
			योग–	**127**	**31**	**96**	
2	वित्त विभाग	विभागध्यक्ष कार्यालय	तकनीकी सहायक	20	20	0	–
			योग–	**20**	**20**	**0**	
3	वाणिज्यिक कर विभाग (विक्रयकर)	विभाग हेतु	सफाई कर्मी	19	0	19	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये है।
			सुरक्षा कर्मी	16	0	16	
			योग–	**35**	**0**	**35**	
4	वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीयन)	विभाग हेतु	टियर–6 एवं टियर–4, गार्ड–4 एवं सफाई कर्मचारी–4	14	8	6	–
			योग–	**14**	**8**	**6**	
5	समाज कल्याण विभाग	संचालनालय समाज कल्याण	लेखा अधिकारी	1	0	1	
			प्लेसमेंट अधिकारी	1	0	1	
			मैनेजर	1	0	1	
			निज सचिव	1	0	1	
			फिजियोथेरैपिस्ट	2	0	2	
			सॉयकोलॉजिस्ट	1	0	1	
			स्पेशल एजुकेटर	1	0	1	
			स्पीच थेरापिस्ट	1	0	1	
			फिल्ड एण्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट	1	0	1	
			मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर	2	0	2	
			प्रोस्थेस्टिक एण्ड आर्थोपेटिक	2	0	2	
			कॉल एक्जक्यूटिव	22	0	22	
			संगीतकार	2	0	2	
			प्रशिक्षक	7	0	7	
			प्रशिक्षित शिक्षक	3	0	3	
			शिक्षक	3	0	3	
			सिलाई प्रशिक्षक	1	0	1	
			व्यवसायिक शिक्षक	1	0	1	–
			उच्च वर्ग शिक्षक	3	0	3	
			शिक्षक, दृष्टि बाधित	1	0	1	

क्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी का पदनाम	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये कर्मचारी/ अधिकारी की संख्या	कॉलम–5 में से वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर्मचारी/ अधिकारी की संख्या	बिना वित्त विभाग की स्वीकृति से रखे गये कर्मचारी/ अधिकारी की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
			एकीकृत शिक्षक	1	0	1	
			शिक्षक श्रवण बाधित	2	0	2	
			चित्रकला शिक्षक	2	0	2	
			निम्न श्रेणी शिक्षक	1	0	1	
			सुपरवाईजर	3	0	3	
			सोशल मीडिया	1	0	1	
			स्टेनो टायपिस्ट	1	0	1	
			लेखापाल	1	0	1	
			सहायक वर्ग–2	1	0	1	
			कम्प्यूटर ऑपरेटर	17	0	17	
			लिपिक	4	0	4	
			वाहन चालक	3	0	3	
			कार्यालय स्टाफ	1	0	1	
			वार्डन	1	0	1	
			गार्ड	5	0	5	
			चतुर्थ श्रेणी	36	0	36	
			योग	**137**	**0**	**137**	
6	श्रम विभाग	कार्यालय श्रमायुक्त संगठन	स्टेनोटायपिस्ट	2	0	2	उक्त कर्मचारियों का वेतन छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल से प्राप्त राशि द्वारा भुगतान किया जाता है।
			डाटा एंट्री ऑपरेटर	29	0	29	
			वाहन चालक	14	0	14	
			भृत्य	27	0	27	
			योग–	**72**	**0**	**72**	
7	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	परियोजना प्रबधक (तकनीकी)	1	0	1	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत संचालित जल जीवन मिशन में प्लेसमेंट/आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से मानव संसाधन के नियोजन के लिये राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) से स्वीकृति प्राप्त की गई है।
			परियोजना समन्वयक (एम एण्ड आई)	19	0	19	
			परियोजना समन्वयक (वित्त)	17	0	17	
			परियोजना समन्वयक (सिविल)	2	0	2	
			परियोजना समन्वयक (मॉनिटरिंग)	6	0	6	
			परियोजना समन्वयक (तकनीकी)	24	0	24	
			परियोजना समन्वयक (आई एस ए)	22	0	22	
			परियोजना समन्वयक (आई ई सी)	22	0	22	
			परियोजना समन्वयक (सीडीएटी)	18	0	18	
			परियोजना समन्वयक (डब्ल्यूक्यूएम एस)	23	0	23	

क्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी का पदनाम	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	कॉलम–5 में से वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	बिना वित्त विभाग की स्वीकृति से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
			परियोजना समन्वयक (आईएमआईएस)	24	0	24	
			परियोजना समन्वयक (आईएमआईए)	1	0	1	
			क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण समन्वयक	6	0	6	
			हाइड्रोजियोलॉजिस्ट	1	0	1	
			डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	200	0	200	
			जिला समन्वयक	9	0	9	
			कम्प्यूटर ऑपरेटर	15	0	15	
			परियोजना समन्वयक	16	0	16	
			योग	**426**	**0**	**426**	
8	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	विभागाध्यक्ष कार्यालय	प्रोग्रामर	5	1	4	17 पदों को वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के वित्तीय प्रबंधन मैनुअल के आधार पर किया गया है।
			कार्यालय सहायक	13	0	13	
			राज्य परियोजना अधिकारी	3	0	3	43 पदों को महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत संचालित सी.एफ.पी. योजना हेतु T&M Services Cousulting Pvt.Ltd. के माध्यम से नियोजित है।
			डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट	17	0	17	
			ब्लॉक एक्सपर्ट	23	0	23	
			सहायक प्रोग्रामर	2	2	0	–
			डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	1	0	
			प्रोजेक्ट मैनेजर	4	0	4	प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त
			मल्टी टास्किंग सपोर्ट	3	0	3	
			योग–	**71**	**4**	**67**	
9	आवास एवं पर्यावरण विभाग	छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकारी (रेरा)	शीघ्रलेखक	4	4	0	–
			सहायक गेड–2	2	2	0	
			सहायक ग्रेड–03	3	3	0	
			आदेश वाहक	4	4	0	
			भृत्य	9	9	0	
			चौकीदार	1	1	0	
			स्वीपर/फर्राश (अंशकालिन)	1	1	0	
		नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण	मार्केटिंग मैनेजर	1	0	1	
			सहायक वर्ग–1 (सेवानिवृत्त)	1	1	0	
			सहायक वर्ग–2 (सेवानिवृत्त)	1	1	0	
			सहायक प्रोगागर	2	2	0	
			लेखापाल	2	2	0	
			उप अभियंता	1	1	0	
			डाटा एन्ट्री आपरेटर	40	0	40	
			ऑफिस ब्याय	43	36	7	
			पम्प ऑपरेटर	2	0	2	
			कार्यालय सहायक	8	0	8	

क्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी का पदनाम	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	कॉलम–5 में से वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	बिना वित्त विभाग की स्वीकृति से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
		छ.ग.भू–संपदा अपीलीय अधिकरण, रायपुर	सहायक प्रोगामर	1	1	0	–
			शीघ्रलेखक	1	1	0	
			सहायक ग्रेड–03	2	2	0	
			सुरक्षागार्ड	1	1	0	छ.ग.भू–संपदा (विनियम और विकास) नियम 2017 के नियम 33 (बी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अस्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति।
			ड्राईवर	1	1	0	
			भृत्य	6	6	0	
			माली	1	1	0	
			स्वीपर	2	1	1	
		रायपुर विकास प्राधिकरण	उप अभियंता	1	0	1	–
			कम्प्यूटर आपरेटर	12	0	12	
			कार्यालय सहायक	2	0	2	
			विद्युत सहायक	2	0	2	
			लिपिक	1	0	1	
			कार्य सहायक	1	0	1	
			लाइन सुपरवाइजर	1	0	1	
			पंप चालक	1	0	1	
			वाहन चालक	1	0	1	
			श्रमिक	13	0	13	
			योग–	**175**	**81**	**94**	
10	उच्च शिक्षा विभाग	–	सफाई कर्मी	102	0	102	उक्त कर्मचारी राजकीय विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा नियोजित किये गये है।
			सुरक्षा गार्ड	131	0	131	
			गनमैन	6	0	6	
			सुपरवाईजर	1	0	1	
			क्लर्क/टाईपिस्ट	10	0	10	
			कम्प्यूटर ऑपरेटर (नेटवर्किंग कार्य)	1	0	1	
			कैमरा ऑपरेटर	1	0	1	
			तकनीशियन रेडियो	1	0	1	
			तकनीशियन टी.व्ही.	2	0	2	
			सहायक लाइब्रेरियन	1	0	1	
			वाहन चालक	5	0	5	
			भृत्य	5	0	5	
			माली	2	0	2	
			स्वीपर	8	0	8	
			श्रमिक	21	0	21	
			सहायक ग्रेड–तीन	2	0	2	
			ऑपरेटर	1	0	1	
			योग–	**300**	**0**	**300**	
11	आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग	आयुक्त कार्यालय	साप्टवेयर डेव्हलेपर	2	0	2	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। राज्य में इनका संचालन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। अतः उक्त पदों को राज्य स्तरीय संचालक मंडल की अनुमति से CHiPS एवं NIC-SI एजेंसी के माध्यम से रखा गया है।
			प्रोग्राम ऑफिसर (सिविल)	1	0	1	
			प्रोग्राम ऑफिसर (दस्तावेज विशेषज्ञ)	1	0	1	
			ऑफिस असिस्टेंट (IT)	4	0	4	
			टेक्निकल/सहायक	1	0	1	
			डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	5	0	5	
			योग–	**14**	**0**	**14**	

क्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी का पदनाम	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	कॉलम–5 में से वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	बिना वित्त विभाग की स्वीकृति से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
12	सामान्य प्रशासन विभाग	कार्यालय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग नवा रायपुर अटल	सुरक्षा गार्ड	5	5	0	
			साफ–सफाई हेतु	10	10	0	वित्त विभाग की बजट स्वीकृति उपरांत सभी कर्मचारी रखे गये है।
		कार्यालय छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर	मैनेजर	1	0	1	–
			कम्प्यूटर ऑपरेटर	8	0	8	
			सहा. सुपरवाईजर	3	0	3	
			सहा. लाईब्रेरियन	1	0	1	
			जूनियर टेक्निशियन	1	0	1	
			प्लंबर	1	0	1	
			हल्का वाहन चालक	1	0	1	
			सफाई कर्मचारी	20	0	20	
			स्वीपर	6	0	6	
			हैवी वाहन चालक	1	0	1	
			इलेक्ट्रीशियन	2	0	2	
			माली	10	0	10	
		कार्यालय आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली	टेलीफोन ऑपरेटर	1	1	0	–
			स्टेनो टायपिस्ट	2	2	0	
			स्वागती	2	2	0	
			वाहन चालक	5	5	0	
			वेटर	5	5	0	
			माली	1	1	0	
			सहायक ग्रेड–2	1	1	0	
			सत्कार सहा. ग्रेड–2	2	2	0	
			भृत्य	3	3	0	
			योग	**92**	**37**	**55**	
13	राजस्व एव आपदा प्रबंधन विभाग,	कार्यालय आयुक्त भू–अभिलेख	प्रोग्रामर (NICSI)	11	11	0	–
			योग	**11**	**11**	**0**	
14	ऊर्जा विभाग	छ.ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग	कार्यालय सहा.श्रेणी–3	3	3	0	–
			वाहन चालक	3	3	0	
			योग–	**6**	**6**	**0**	
15	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	कार्यालय चिप्स	लेखापाल	2	0	2	निविदा प्रक्रिया द्वारा
			सुपरवाईजर	1	0	1	
			डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	22	0	22	
			कम्प्यूटर ऑपरेटर	7	0	7	
			इलेक्ट्रिशियन	1	0	1	
			ऑफिस ब्वॉय/हाउसकीपिंग	38	0	38	
			योग–	**71**	**0**	**71**	
		महायोग–		**1565**	**192**	**1373**	

टीप :– व्यावसायिक सेवाओं/प्रशासकीय व्यय अंतर्गत विभाग सफाई कर्मचारी, चौकीदार इत्यादि/कंसल्टेन्ट्स रख सकते है इसके लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग, मंत्रालय,
नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–ब

भाग "ख" की जानकारी

वर्ष 2023

क्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी का पदनाम	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	कॉलम–5 में से वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	बिना वित्त विभाग की स्वीकृति से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	परिवहन विभाग	विभागाध्यक्ष कार्यालय	आई.टी. विशेषज्ञ	31	31	0	—
			सुरक्षाकर्मी	48	0	48	
			सफाईकर्मी	48	0	48	
			योग–	**127**	**31**	**96**	
2	वित्त विभाग	विभागाध्यक्ष कार्यालय	तकनीकी सहायक	19	19	0	—
			योग–	**19**	**19**	**0**	
3	वाणिज्यिक कर विभाग (विक्रयकर)	विभाग हेतु	सफाई कर्मी	26	0	26	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये है।
			सुरक्षा कर्मी	23	0	23	
		योग–		**49**	**0**	**49**	
4	वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीयन)	विभाग हेतु	टियर–6 एवं टियर–4, गार्ड–4 एवं सफाई कर्मचारी–4	14	8	6	—
		योग–		**14**	**8**	**6**	
5	समाज कल्याण विभाग	संचालनालय समाज कल्याण	लेखा अधिकारी	1	0	1	—
			प्लेसमेंट अधिकारी	1	0	1	
			मैनेजर	1	0	1	
			निज सचिव	1	0	1	
			फिजियोथेरैपिस्ट	2	0	2	
			सॉयकोलॉजिस्ट	1	0	1	
			स्पेशल एजुकेटर	1	0	1	
			स्पीच थेरापिस्ट	1	0	1	
			फिल्ड एण्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट	1	0	1	
			मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर	2	0	2	
			प्रोस्थेस्टिक एण्ड आर्थोपेटिक	2	0	2	
			कॉल एक्जक्यूटिव	22	0	22	
			संगीतकार	2	0	2	
			प्रशिक्षक	7	0	7	
			प्रशिक्षित शिक्षक	3	0	3	
			शिक्षक	3	0	3	
			सिलाई प्रशिक्षक	1	0	1	
			व्यवसायिक शिक्षक	1	0	1	
			उच्च वर्ग शिक्षक	3	0	3	
			शिक्षक, दृष्टि बाधित	1	0	1	
			एकीकृत शिक्षक	1	0	1	

क्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी का पदनाम	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	कॉलम–5 में से वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	बिना वित्त विभाग की स्वीकृति से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
			शिक्षक श्रवण बाधित	2	0	2	
			चित्रकला शिक्षक	2	0	2	
			निम्न श्रेणी शिक्षक	1	0	1	
			सुपरवाईजर	3	0	3	
			सोशल मीडिया	1	0	1	
			स्टेनो टायपिस्ट	1	0	1	
			लेखापाल	1	0	1	
			सहायक वर्ग–2	1	0	1	
			कम्प्यूटर ऑपरेटर	17	0	17	
			लिपिक	6	0	6	
			वाहन चालक	4	0	4	
			कार्यालय स्टाफ	1	0	1	
			वार्डन	1	0	1	
			गार्ड	8	0	8	
			चतुर्थ श्रेणी	40	0	40	
			योग	**147**	**0**	**147**	
6	श्रम विभाग	कार्यालय श्रमायुक्त संगठन	स्टेनोटायपिस्ट	3	0	3	उक्त कर्मचारियों का वेतन छ. ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल से प्राप्त राशि द्वारा भुगतान किया जाता है।
			डाटा एंट्री ऑपरेटर	29	0	29	
			वाहन चालक	16	0	16	
			भृत्य	29	0	29	
			योग–	**77**	**0**	**77**	
7	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	परियोजना प्रबधक (तकनीकी)	1	0	1	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत संचालित जल जीवन मिशन में प्लेसमेंट/आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से मानव संसाधन के नियोजन के लिये राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) से स्वीकृति प्राप्त की गई है।
			परियोजना प्रबधक (निगरानी)	1	0	1	
			परियोजना समन्वयक (एम एण्ड आई)	19	0	19	
			परियोजना समन्वयक (वित्त)	17	0	17	
			परियोजना समन्वयक (सिविल)	2	0	2	
			परियोजना समन्वयक (मॉनिटरिंग)	6	0	6	
			परियोजना समन्वयक (तकनीकी)	23	0	23	
			परियोजना समन्वयक (आई एस ए)	22	0	22	
			परियोजना समन्वयक (आई ई सी)	22	0	22	
			परियोजना समन्वयक (सीडीएटी)	18	0	18	
			परियोजना समन्वयक (डब्ल्यूक्यूएम.एस)	22	0	22	
			परियोजना समन्वयक (आईएमआईएस)	24	0	24	

क्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी का पदनाम	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	कॉलम–5 में से वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	बिना वित्त विभाग की स्वीकृति से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
			परियोजना समन्वयक	1	0	1	
			क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण	6	0	6	
			डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	204	0	204	
			जिला समन्वयक	9	0	9	
			कम्प्यूटर ऑपरेटर	14	0	14	
			परियोजना समन्वयक	16	0	16	
			योग	**427**	**0**	**427**	
8	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	विभागाध्यक्ष कार्यालय	प्रोग्रामर	4	0	4	
			कार्यालय सहायक	13	0	13	17 पदों को वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के वित्तीय प्रबंधन मैनुअल के आधार पर किया गया है।
			राज्य परियोजना अधिकारी	3	0	3	31 पदों को महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत संचालित सी. एफ.पी. योजना हेतु T&M Services Cousulting Pvt.Ltd. के माध्यम से नियोजित है।
			डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट	14	0	14	
			ब्लॉक एक्सपर्ट	14	0	14	
			सहायक प्रोग्रामर	1	0	1	—
			योग–	**49**	**0**	**49**	
9	आवास एवं पर्यावरण विभाग	छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकारी (रेरा)	शीघ्रलेखक	4	4	0	—
			सहायक गेड–2	2	2	0	
			सहायक ग्रेड–03	3	3	0	
			आदेश वाहक	4	4	0	
			भृत्य	9	9	0	
			चौकीदार	1	1	0	
			स्वीपर/फर्राश (अंशकालिन)	1	1	0	
		नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण	मार्केटिंग मैनेजर	1	0	1	
			सहायक वर्ग–1 (सेवानिवृत्त)	1	1	0	
			सहायक वर्ग–2 (सेवानिवृत्त)	1	1	0	
			सहायक प्रोगामर	2	2	0	
			लेखापाल	2	2	0	
			उप अभियंता	1	1	0	
			डाटा एन्ट्री आपरेटर	40	0	40	
			ऑफिस ब्याय	43	36	7	
			पम्प ऑपरेटर	2	0	2	
			कार्यालय सहायक	8	0	8	

क्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी का पदनाम	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	कॉलम–5 में से वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	बिना वित्त विभाग की स्वीकृति से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
		छ.ग.भू–संपदा अपीलीय अधिकरण, रायपुर	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	–
			शीघ्रलेखक	1	1	0	
			सहायक ग्रेड–03	2	2	0	
			सुरक्षागार्ड	1	1	0	छ.ग. भू–संपदा (विनियम और विकास) नियम 2017 के नियम 33 (बी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अस्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति।
			ड्राईवर	1	1	0	
			भृत्य	6	6	0	
			माली	1	1	0	
			स्वीपर	2	1	1	
		रायपुर विकास प्राधिकरण	उप अभियंता	1	0	1	–
			कम्प्यूटर आपरेटर	12	0	12	
			कार्यालय सहायक	2	0	2	
			विद्युत सहायक	2	0	2	
			लिपिक	1	0	1	
			कार्य सहायक	1	0	1	
			लाइन सुपरवाइजर	1	0	1	
			पंप चालक	1	0	1	
			वाहन चालक	1	0	1	
			श्रमिक	13	0	13	
			योग–	**175**	**81**	**94**	
10	उच्च शिक्षा विभाग	–	सफाई कर्मी	102	0	102	उक्त कर्मचारी राजकीय विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा नियोजित किये गये है।
			सुरक्षा गार्ड	131	0	131	
			गनमैन	6	0	6	
			सुपरवाईजर	1	0	1	
			क्लर्क/टाईपिस्ट	10	0	10	
			कम्प्यूटर ऑपरेटर (नेटवर्किंग कार्य)	1	0	1	
			कैमरा ऑपरेटर	1	0	1	
			तकनीशियन रेडियो स्टेशन	1	0	1	
			तकनीशियन टी.व्ही.स्टुडियो	2	0	2	
			सहायक लाइब्रेरियन	1	0	1	
			वाहन चालक	5	0	5	
			भृत्य	5	0	5	
			माली	2	0	2	
			स्वीपर	8	0	8	
			श्रमिक	21	0	21	
			सहायक ग्रेड–तीन	2	0	2	
			ऑपरेटर	1	0	1	
			योग–	**300**	**0**	**300**	
11	आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग	आयुक्त कार्यालय	साफ्टवेयर डेव्हलपर	2	0	2	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। राज्य में इनका संचालन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। अतः उक्त पदों को राज्य स्तरीय संचालक मंडल की अनुमति से CHiPS एवं NIC-SI एजेंसी के माध्यम से रखा गया है।
			प्रोग्राम ऑफिसर (सिविल)	1	0	1	
			प्रोग्राम ऑफिसर (दस्तावेज विशेषज्ञ)	1	0	1	
			ऑफिस असिस्टेंट (IT)	4	0	4	
			लेखापाल	57	0	57	
			मल्टी टास्किंग स्टॉफ	3	0	3	
			डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	7	0	7	
			योग–	**75**	**0**	**75**	

क्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी का पदनाम	प्लेसमेंट के माध्यम से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	कॉलम-5 में से वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	बिना वित्त विभाग की स्वीकृति से रखे गये कर्मचारी/अधिकारी की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
12	सामान्य प्रशासन विभाग	कार्यालय छत्तीसगढ लोक सेवा आयोग नवा रायपुर अटल नगर	सुरक्षा गार्ड	5	5	0	वित्त विभाग की बजट स्वीकृति उपरांत सभी कर्मचारी रखे गये है।
			साफ-सफाई हेतु	10	10	0	
		छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग, रायपुर	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	—
			डाटा एंट्री ऑपरेटर	1	1	0	
			भृत्य	2	2	0	
		कार्यालय छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर	मैनेजर	1	0	1	—
			कम्प्यूटर ऑपरेटर	8	0	8	
			सहा. सुपरवाईजर	3	0	3	
			सहा. लाईब्रेरियन	1	0	1	
			जूनियर टेक्निशियन	1	0	1	
			प्लंबर	1	0	1	
			हल्का वाहन चालक	1	0	1	
			सफाई कर्मचारी	20	0	20	
			स्वीपर	6	0	6	
			हैवी वाहन चालक	1	0	1	
			इलेक्ट्रीशियन	2	0	2	
			माली	10	0	10	
		कार्यालय आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ भवन, नई दिल्ली	टेलीफोन ऑपरेटर	1	1	0	—
			स्टेनो टायपिस्ट	2	2	0	
			स्वागती	2	2	0	
			वाहन चालक	5	5	0	
			वेटर	7	7	0	
			माली	1	1	0	
			सहायक ग्रेड-2	2	2	0	
			सत्कार सहा. ग्रेड-2	2	2	0	
			भृत्य	3	3	0	
		योग		**99**	**44**	**55**	
13	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, पुर्नवास विभाग	कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख	प्रोग्रामर	11	11	0	—
		योग		**11**	**11**	**0**	
14	ऊर्जा विभाग	छ.ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग	कार्यालय सहा.श्रेणी-3	3	3	0	—
			वाहन चालक	3	3	0	
		योग-		**6**	**6**	**0**	
15	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	कार्यालय चिप्स	लेखापाल	2	0	2	
			सुपरवाईजर	1	0	1	
			डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	23	0	23	
			कम्प्यूटर ऑपरेटर	2	0	2	
			इलेक्ट्रिशियन	1	0	1	
			ऑफिस ब्वॉय/हाउसकीपिंग	33	0	33	
		योग-		**62**	**0**	**62**	
	महायोग-			**1637**	**200**	**1437**	

टीप :- व्यावसायिक सेवाओं/प्रशासकीय व्यय अंतर्गत विभाग सफाई कर्मचारी, चौकीदार इत्यादि/कंसल्टेन्ट्स रख सकते है इसके लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग, मंत्रालय,

परिशिष्ट - सात

प्रश्न संख्या–15(क्र.831) की जानकारी

प्रपत्र–अ

वर्ष 2021–22

क्र.	योजना का नाम	विकासखण्ड का नाम	ट्रेक्टर पर अनुदान हेतु स्वीकृत प्रकरण
1	2	3	4
1	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	पंडरिया	67
	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना		5
2	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	सहसपुर लोहारा	51
3	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कवर्धा	40
4	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना		4
	योग वर्ष 2021–22		167
	वर्ष 2022–23		
5	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	पंडरिया	117
6		सहसपुर लोहारा	159
7	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कवर्धा	123
	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–4 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना)		4
	योग वर्ष 2022–23		403
	वर्ष 2023–24		
8	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	पंडरिया	24
9		सहसपुर लोहारा	17
10	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कवर्धा	11
	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–4 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना)		2
	योग वर्ष 2023–24		54
	वर्ष 2024–25 (दिनांक 30.06.2024)		
11	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3 कृषि यंत्रों पर अनुदान)	निरंक	
	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–4 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना)		
	महायोग		624

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

कंपोनेंट क्रमांक–3 ट्रेक्टर हेतु देय अनुदान विवरण

क्र.	यंत्र का नाम	शक्ति का विवरण	अन्य वर्ग के हितग्राहियों हेतु		अजा/अजजा./लघु एवं सीमांत कृषक एवं महिलाओं हेतु	
			अधिकतम अनुदान सीमा	अनुदान पैटर्न	अधिकतम अनुदान सीमा	अनुदान पैटर्न
1	2	3	4	5	6	7
1	ट्रैक्टर	(2WD) 8 से 20 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 1,60,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 2,00,000/–)	50 प्रतिशत
2		(4WD) 8 से 20 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 1,80,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 2,25,000/–)	50 प्रतिशत
3		(2WD) 20 से अधिक 40 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 2,00,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 2,50,000/–)	50 प्रतिशत
4		(4WD) 20 से अधिक 40 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 2,40,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 3,00,000/–)	50 प्रतिशत
5		(2WD) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 3,40,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 4,25,000/–)	50 प्रतिशत
6		(4WD) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 4,00,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 5,00,000/–)	50 प्रतिशत

कंपोनेंट क्रमांक–4 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना

क्र.	विवरण	सभी वर्ग के हितग्राही हेतु	
		अनुदान सीमा	अनुदान प्रतिशत
1	ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 10.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	4.00 लाख	40%
2	ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 25.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	10.00 लाख	40%
3	ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 40.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	16.00 लाख	40%
4	ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 60.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	24.00 लाख	40%

कंपोनेंट क्रमांक–6 चयनित ग्रामों में फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना

क्र.	विवरण	सभी वर्ग के हितग्राही हेतु	
		अनुदान सीमा	अनुदान प्रतिशत
1	पंजीकृत समूहों द्वारा ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 10.00 लाख तक के यंत्रों	8.00 लाख	80%

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–स

क्र.	जिला	वर्ष	योजना का नाम				
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3 कृषि यंत्रों पर अनुदान)	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–4 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना)		कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–6 चयनित ग्रामों में यांत्रिकीकरण हेतु फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना)	
			भौतिक लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कबीरधाम	2021–22	37	9	54.00	0	0.00
2		2022–23	87	8	38.00	0	0.00
3		2023–24	60	5	32.00	0	0.00
4		2024–25	50	14	106.00	2	16.00
योग			**234**	**36**	**230.00**	**2**	**16.00**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–द

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या		स्वीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत हेतु शेष/निरस्त प्रकरणों की संख्या	रिमार्क
				ऑनलाईन आवेदन	ऑफलाईन आवेदन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	2021–22	पंडरिया	73	0	67	0	6	कृषकों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों में त्रुटि सुधार हेतु भेजे जाने के उपरांत वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व 13 प्रकरण पुनः मुख्यालय में अप्राप्त रहने के कारण वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरांत स्वमेव निरस्त हो गए।
			सहसपुर लोहारा	57	0	51	0	6	
			कवर्धा	41	0	40	0	1	
	योग			171	0	158	0	13	
2	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजन्त्र (कंपोनेंट क्रमांक–4) फार्म मशीनी बैंकों की स्थापना		पंडरिया	0	7	5	2	0	लक्ष्य के अभाव में
			सहसपुर लोहारा	0	5	0	5	0	
			कवर्धा	0	11	4	7	0	
	योग			0	23	9	14	0	
3	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–6) चयनित ग्रामों में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना		पंडरिया	0	0	0	0	0	
			सहसपुर लोहारा	0	0	0	0	0	
			कवर्धा	0	0	0	0	0	
	योग			0	0	0	0	0	
1	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान		पंडरिया	129	0	117	0	12	कृषकों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों में त्रुटि सुधार हेतु भेजे जाने के उपरांत वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व 37 प्रकरण पुनः मुख्यालय में अप्राप्त रहने के कारण वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरांत स्वमेव निरस्त हो गए।
			सहसपुर लोहारा	173	0	159	0	14	
			कवर्धा	134	0	123	0	11	
	योग			436	0	399	0	37	

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या		स्वीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत हेतु शेष/निरस्त प्रकरणों की संख्या	रिमार्क
				ऑनलाईन आवेदन	ऑफलाईन आवेदन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेंट क्रमाक–4) फार्म मशीनी बैंकों की स्थापना	2022–23	पंडरिया	0	1	0	1	0	भौतिक लक्ष्य अनुसार अ.जा. श्रेणी के आवेदनों का समय सीमा में प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण
			सहसपुर लोहारा	0	0	0	0	0	
			कवर्धा	0	7	4	3	0	लक्ष्य के अभाव में
	योग			0	8	4	4	0	
3	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेंट क्रमाक–6) चयनित ग्रामों में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना		पंडरिया	0	0	0	0	0	
			सहसपुर लोहारा	0	0	0	0	0	
			कवर्धा	0	0	0	0	0	
	योग			0	0	0	0	0	
1	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	2023–24	पंडरिया	146	0	24	0	122	भौतिक लक्ष्य के अभाव में स्वीकृत नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरांत स्वमेव निरस्त हो गए।
			सहसपुर लोहारा	198	0	17	0	181	
			कवर्धा	171	0	11	0	160	
	योग			515	0	52	0	463	
2	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमाक–4) फार्म मशीनी बैंकों की स्थापना		पंडरिया	0	0	0	0	0	
			सहसपुर लोहारा	0	0	0	0	0	
			कवर्धा	0	2	2	0	0	
	योग			0	2	2	0	0	
3	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेंट क्रमांक–6) चयनित ग्रामों में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना		पंडरिया	0	0	0	0	0	
			सहसपुर लोहारा	0	0	0	0	0	
			कवर्धा	0	0	0	0	0	
	योग			0	0	0	0	0	

क्र	योजना का नाम	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या		स्वीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत हेतु शेष / निरस्त प्रकरणों की संख्या	रिमार्क
				ऑनलाईन आवेदन	ऑफलाईन आवेदन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन याजना (कपोनट क्रमाक–3) कृषि यत्रो पर अनुदान	2024–25 (दिनांक 30.06. 2024 तक)	पडरिया	129	0	0	0	0	स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन
			सहसपुर लोहारा	180	0	0	0	0	
			कवर्धा	178	0	0	0	0	
	योग			487	0	0	0	0	
2	कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेट क्रमांक–4) फार्म मशीनी बैंकों की स्थापना		पंडरिया	0	0	0	0	0	7 आवेदन स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन।
			सहसपुर लोहारा	0	1	0	0	0	
			कवर्धा	0	6	0	0	0	
	योग			0	7	0	0	0	
3	कृषि यात्रिकीकरण सबमिशन योजना (कपोनेट क्रमांक–6) चयनित ग्रामों में कृषि यात्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना		पंडरिया	0	0	0	0	0	
			सहसपुर लोहारा	0	0	0	0	0	
			कवर्धा	0	0	0	0	0	
	योग			0	0	0	0	0	

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट - आठ

प्रश्न संख्या–18(क्र.937) की जानकारी

प्रपत्र-

खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक के वर्षो में भारत सरकार को प्रेषित दावा पत्रक, हानि की स्थिति निम्नानुसार है :–

खरीफ वर्ष	भारत सरकार से अंतिम दर स्वीकृति की स्थिति	केन्द्रीय पूल एवं राज्य पूल में प्रदायित संपूर्ण चावल की हानि की प्रतिपूर्ति योग्य राशि	राज्य शासन से प्राप्त राशि	विपणन संघ द्वारा प्रेषित हानि दावा/दर निर्धारण प्रस्ताव का विवरण	भारत सरकार से अंतिम लागत दर स्वीकृति की स्थिति	हानि का कारण/वर्तमान स्थिति
2019–20	अंतिम	1363.12	0.00	पत्र कमांक/लेखा/वित्त/106/2019–20/6642/2023, दिनांक 10.02.2023 अंतिम दर में संशोधन हेतु पत्र कमांक/लेखा/वित्त/106/एफसीएस–2019–20/309/2024, दिनांक 19.04.2024	पत्र कमांक/192(28)/2019 एफसी लेखा कृषि भवन नई दिल्ली दिनांक 26.12.2023	खरीफ वर्ष 2019–20 में दावा हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति कम प्राप्त होने के कारण उक्त वर्ष में राज्य शासन को राशि रू. 1363.12 करोड़ का हानि हुई है। भारत सरकार से अंतिम दर में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।
2020–21	प्रावधिक	0.00	0.00	पत्र कमांक/लेखा/वित्त/2020–21/1017/2024, दिनांक 30.05.2024	प्रकियाधीन	भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2020–21 कर अंतिम दर निर्धारित किये जाने के उपरांत हुई वास्तविक हानि की जानकारी प्राप्त होगी।
2021–22	प्रावधिक	0.00	0.00	प्रकियाधीन	–	दावा प्रत्रक सी.ए. फर्म से तैयार एवं ऑडिट कराया जा रहा है।
2022–23	प्रावधिक	0.00	0.00	प्रकियाधीन	–	भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक प्रस्तुत किया जाना है।
2023–24	प्रावधिक	0.00	0.00	प्रकियाधीन	–	धान का निराकरण किया जा रहा है।

अनुभाग अधिकारी
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय

जुलाई, 2024 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोंत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची

क्रमांक	दिनांक	प्रश्न संख्या (क्रमांक)	विभाग का नाम	संशोधन
1	23/07/2024	ता.प्र.सं.–13 (क्र.–240)	वाणिज्य एवं उद्योग	संशोधन
2	24/07/2024	ता.प्र.सं.–11 (क्र.–418)	चिकित्सा शिक्षा	संशोधन
3	24/07/2024	परि. अता.प्र.सं.–65 (क्र.–626)	गृह	संशोधन
	दिनांक 24/07/2024 का शुद्धि पत्र			
4	25/07/2024	ता.प्र.सं.–06 (क्र.–672)	आवास एवं पर्यावरण	संशोधन
5	25/07/2024	ता.प्र.सं.–17 (क्र.–774)	वाणिज्यिक कर	संशोधन
	दिनांक 25/07/2024 का शुद्धि पत्र			
6	26/07/2024	ता.प्र.सं.–04 (क्र.–488)	महिला एवं बाल विकास	संशोधन
7	26/07/2024	ता.प्र.सं.–05 (क्र.–426)	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	संशोधन
8	26/07/2024	ता.प्र.सं.–09 (क्र.–903)	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	संशोधन
9	26/07/2024	ता.प्र.सं.–24 (क्र.–775)	महिला एवं बाल विकास	संशोधन

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक **23.07.2024** की प्रश्नोत्तर सूची के **पृष्ठ क्रमांक 06** में मुद्रित **तारांकित**/परि. अतारांकित/अतारांकित **प्रश्न संख्या 13 (240)** में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "क" में "प्रदेश में अब तक राज्य सरकार द्वारा कुल 53 औद्योगिक क्षेत्र एवं 01 फूडपार्क स्थापित किए गए हैं एवं संचालित है। राज्य में 06 औद्योगिक क्षेत्र तथा 19 फूडपार्क निर्माणाधीन है।"

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :–

उत्तरांश में संलग्न प्रपत्र–"अ" के स्थान पर "संशोधित प्रपत्र–अ" मान्य करने का कष्ट करें।

उत्तरांश में संलग्न **प्रपत्र–"अ"** के रूप में संलग्न सूची में त्रुटिवश 53 औद्योगिक क्षेत्रों के स्थान पर 54 औद्योगिक क्षेत्रों की सूची संलग्न हो गयी है। इसी सूची में अनुक्रमांक 47 पर वर्णित स्थापित फूडपार्क बगौद के रूप में दर्शाया जाना अपेक्षित था, किन्तु नहीं दर्शाया गया है एवं निर्माणाधीन फूडपार्क की सूची 19 स्थानों की सूची के स्थान पर 15 स्थानों की सूची एवं 04 स्थापित फूडपार्क की सूची संलग्न हो गयी है, उपरोक्त प्रपत्र–अ की त्रुटियों का निराकरण कर **"संशोधित प्रपत्र–अ"** संशोधित जानकारी संलग्न है।

संलग्न :– **संशोधित प्रपत्र–अ**

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(लखनलाल देवांगन)
मंत्री
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

प्रपत्र–अ

विषय :–प्रदेश में स्थापित/संचालित औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1	औद्योगिक क्षेत्र, उरला	रायपुर	धरसींवा
2	औद्योगिक विकास केन्द्र, सिलतरा	रायपुर	धरसींवा
3	औद्योगिक क्षेत्र, भनपुरी	रायपुर	धरसींवा
4	औद्योगिक क्षेत्र, मेटल पार्क	रायपुर	धरसींवा
5	औद्योगिक क्षेत्र, रावाभांठा	रायपुर	धरसींवा
6	औद्योगिक क्षेत्र, आमासिवनी	रायपुर	धरसींवा
7	औद्योगिक क्षेत्र, तेन्दुआ	रायपुर	धरसींवा
8	औद्योगिक क्षेत्र, बरतोरी, तिल्दा	रायपुर	धरसींवा
9	इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर, नवा रायपुर	रायपुर	अभनपुर
10	औद्योगिक संस्थान, दुर्ग	दुर्ग	दुर्ग शहर
11	औद्योगिक संस्थान भिलाई	दुर्ग	वैशाली नगर
12	भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई	दुर्ग	अहिवारा
13	हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई	दुर्ग	वैशाली नगर
14	औद्योगिक क्षेत्र,ग्राम बोडेगांव	दुर्ग	अहिवारा
15	औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरई	दुर्ग	दुर्ग ग्रामीण
16	इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज, भिलाई	दुर्ग	अहिवारा
17	औद्योगिक विकास केन्द्र, सिरगिट्टी	बिलासपुर	बिल्हा
18	औद्योगिक क्षेत्र, सिलपहरी	बिलासपुर	बिल्हा
19	औद्योगिक क्षेत्र तिफरा	बिलासपुर	बिल्हा
20	औद्योगिक क्षेत्र, सिलपहरी (ब्लॉक–ए, बी एवं सी)	बिलासपुर	बिल्हा
21	औद्योगिक संस्थान, ममता नगर, राजनांदगांव	राजनांदगांव	राजनांदगांव
22	औद्योगिक क्षेत्र, मोहारा	राजनांदगांव	राजनांदगांव
23	औद्योगिक क्षेत्र, सोमनी	राजनांदगांव	राजनांदगांव
24	औद्योगिक क्षेत्र, गठुला	राजनांदगांव	राजनांदगांव
25	ग्रामीण कर्मशाला, डोंगरगढ	राजनांदगांव	डोंगरगढ
26	औद्योगिक क्षेत्र, महरूमकला	राजनांदगांव	राजनांदगांव
27	औद्योगिक क्षेत्र महरूमखुर्द	राजनांदगांव	राजनांदगांव

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय [illegible]

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
28	अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, चक्रधरनगर, रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़
29	ग्रामीण कर्मशाला पुसौर	रायगढ़	रायगढ़
30	औद्योगिक क्षेत्र, कोरबा	कोरबा	कोरबा
31	औद्योगिक क्षेत्र, कोरबा रोड चांपा	जांजगीर-चांपा	चाम्पा
32	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) कॉपन	जांजगीर-चांपा	अकलतरा
33	अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, अंबिकापुर	सरगुजा	अम्बिकापुर
34	औद्यागिक क्षेत्र, गंगापुरखुर्द	सरगुजा	अम्बिकापुर
35	औद्योगिक क्षेत्र, चैनपुर	कोरिया	मनेन्द्रगढ़
36	ग्रामीण कर्मशाला बैकुण्ठपुर	कोरिया	बैकुण्ठपुर
37	अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, फ्रेजरपुर	जगदलपुर	जगदलपुर
38	औद्योगिक क्षेत्र, गीदम रोड	जगदलपुर	जगदलपुर
39	औद्योगिक क्षेत्र, कुरन्दी	जगदलपुर	जगदलपुर
40	औद्योगिक क्षेत्र, पण्डरीपानी	जगदलपुर	जगदलपुर
41	अर्द्धशहरीय औद्योगिक क्षेत्र, गम्हरिया	जशपुरनगर	जशपुर
42	औद्योगिक क्षेत्र, अंजीरमा	सूरजपुर	भटगांव
43	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) नयनपुर-गिरवरगंज	सूरजपुर	प्रेमनगर
44	औद्योगिक क्षेत्र, आड़काछेपड़ा, कोण्डागांव	कोण्डागांव	कोण्डागांव
45	ग्रामीण कर्मशाला नारायणपुर	नारायणपुर	नारायणपुर
46	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) बिरकोनी	महासमुंद	महासमुद
47	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) लखनपुरी	कांकेर	कांकेर
48	औद्योगिक क्षेत्र, अंजनी, पेण्ड्रारोड	गौरला-पेंड्रा-मरवाही	कोटा
49	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) हरिनछपरा	कबीरधाम	कबीरधाम
50	औद्योगिक क्षेत्र, अवरेठी, भाटापारा	बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार
51	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) टेकनार	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा
52	औद्योगिक क्षेत्र, खम्हरिया	मुंगेली	मुंगेली
53	औद्योगिक क्षेत्र, परसगढ़ी	कोरिया	मनेन्द्रगढ़

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

प्रदेश में स्थापित/संचालित फूडपार्क की जानकारी

क्र.	फूडपार्क का नाम	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1	फूडपार्क बगौद	धमतरी	कुरूद

प्रदेश में निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1.	औद्योगिक क्षेत्र, अभनपुर	रायपुर	अभनपुर
2.	औद्योगिक क्षेत्र, जी–जामगांव	धमतरी	कुरूद
3.	औद्योगिक क्षेत्र, सियारपाली–महुआपाली	रायगढ	रायगढ़
4.	औद्योगिक क्षेत्र, परसिया	मुंगेली	बिल्हा
5.	औद्योगिक क्षेत्र, सेलर	बिलासपुर	बेलतरा
6.	औद्योगिक क्षेत्र, केसदा	बलौदाबाजार–भाटापारा	भाटापारा

प्रदेश में निर्माणाधीन फूडपार्क की जानकारी

क्र.	ग्राम का नाम	जिला का नाम	विकासखंड का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
1	सुकमा	सुकमा	सुकमा	सुकमा
2	फरसाबहार	जशपुर	फरसाबहार	कुनकुरी
3	रिखी	सरगुजा	उदयपुर	अम्बिकापुर
4	पांगरीखुर्द	राजनांदगांव	छुरिया	खुज्जी
5	धुरागांव	बस्तर	लोहण्डीगुड़ा	चित्रकोट
6	पाकेला	सुकमा	छिन्दगढ़	सुकमा
7	फन्दीगुड़ा	सुकमा	कोन्टा	कोन्टा
8	उलकिया	सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर
9	रामकृष्णपुर	कांकेर	कोयलीबेड़ा	अंतागढ़
10	केवरा	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्रतापुर
11	फूलपुर	कोरिया	बैकुंठपुर	बैकुंठपुर
12	बरबसपुर	सूरजपुर	रामानुजनगर	प्रेमनगर
13	नारायणबहली	जशपुर	कांसाबेल	पत्थलगांव

अनुभाग अधिकारी

क्र.	ग्राम का नाम	जिला का नाम	विकासखंड का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
14	हथकेरा–बिदबिदा	मुंगेली	पथरिया	बिल्हा
15	सुरसाबांधा	गरियाबंद	फिंगेश्वर	राजिम
16	खपरीखुर्द	रायपुर	तिल्दा	सिमगा
17	चिकनीपानी	जशपुर	पत्थलगांव	पत्थलगांव
18	चंदनू–रवेली	बेमेतरा	बेमेतरा	नवागढ़
19	श्यामतराई	धमतरी	धमतरी	धमतरी

अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनॉक 24.07.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 5–6 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्रमांक 418) में, मै निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग :–

(क) छत्तीसगढ़ शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में फर्जी जाति प्रमाण–पत्र के संबध में कुल 04 शिकायतें (01. श्रीमती वर्षा गुर्देकर–सहायक प्राध्यापक, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय रायपुर 02. श्रीमती वीणा डेविड–प्रदर्शक, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय रायपुर 03. श्रीमती नीलम पॉल–सह प्राध्यापक, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय रायपुर 04. श्रीमती ममता नायक–सह प्राध्यापक, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय राजनांदगॉव) के विरूद्ध प्राप्त हुई।

प्राप्त शिकायतों के आधार पर उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति एवं शासन द्वारा जॉच की कार्यवाही की गई। जी हां, उनके खिलाफ जॉच समिति बनाई गई थी। छ.ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियम) अधिनियम व नियम 2013 के अंतर्गत श्रीमती नीलम पॉल–सह प्राध्यापक एवं श्रीमती ममता नायक–सह प्राध्यापक की जांच उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा की गई। श्रीमती वर्षा गुर्देकर–सहायक प्राध्यापक एवं श्रीमती वीणा डेविड, प्रदर्शक के संबंध में प्रकरण उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के समक्ष प्रक्रियाधीन है। शासन में प्राप्त शिकायत पर उक्त सभी अधिकारियो के विरूद्ध जॉच विशेष सचिव, छ.ग. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा की गई।

उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा श्रीमती ममता नायक के संबंध में पारित निर्णय दिनॉक 25.11.2022 द्वारा महार, अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र की वैधानिकता प्रमाणिक पायी गई एवं श्रीमती नीलम पाल के संबंध में पारित निर्णय दिनॉक 25.11.2022 द्वारा सतनामी (धर्म ईसाई), अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र की वैधानिकता प्रमाणिक पायी गई। श्रीमती वर्षा गुर्देकर एवं श्रीमती वीणा डेविड के संबंध में जॉच प्रक्रियाधीन है। शासन द्वारा नियुक्त जॉच अधिकारी विशेष सचिव, छ.ग. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा की गई जॉच रिपोर्ट दिनॉक 07.02.2022 में श्रीमती नीलम पॉल अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होकर अनुसूचित जनजाति वर्ग से पदोन्नति का लाभ लिये जाने के संबंध में रिव्यू डीपीसी की अनुशंसा की गई। रिव्यू डीपीसी हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे :–

(क) पूर्व मे प्रेषित उत्तर के भाग (क) मे .... प्रक्रियाधीन है, के पश्चात् निम्नांकित संशोधित उत्तर पढा जावे :– उक्त प्रकरण में से श्रीमती वर्षा गुर्देकर के संबध में शासन द्वारा 18 बार टीएल बैठक की गई, चूंकि श्रीमती वर्षा गुर्देकर के फर्जी जाति प्रकरण उच्च स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष प्रक्रियाधीन है, अतः जाच छानबीन समिति में होने से प्रत्याशा में टीएल बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया।

(श्याम बिहारी जायसवाल)
(श्याम बिहारी जायसवाल)
मंत्री
चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण,
चिकित्सा शिक्षा एवं बीस सूत्रीय

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 24.07.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक – 38 में मुद्रित परि. अतारांकित प्रश्न संख्या– 65 (क्रमांक 626) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (ख) के प्रथम पंक्ति में उल्लेखित ''जिला रायपुर एवं जिला कबीरधाम में नशे के विरूद्ध कार्यवाही'' तथा भाग (ग) के प्रथम पंक्ति में उल्लेखित ''राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाओं की रोकथाम हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं'' ।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित (ख) एवं (ग) का उत्तर पढ़ा जावे :–

(ख) ''जिला रायपुर एवं जिला कबीरधाम में नशीले पदार्थों के विक्रय में अप्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई है। नशीले पदार्थों के विक्रय के विरूद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की जा रही है''।

शेष जानकारी बिंदु 1 से 8 यथावत् पढ़ा जावे।

(ग) 01 जुलाई, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 की तुलना में विगत छः माह की अवधि में राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाओं में 28 प्रतिशत की कमी आयी है। ''राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाओं की रोकथाम हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं''।

शेष जानकारी बिंदु 1 से 8 यथावत् पढ़ा जावे।

(विजय शर्मा)
उप मुख्यमंत्री, गृह

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित **तारांकित प्रश्न संख्या–06 (क्र.–585)** का **पुनरीक्षित उत्तर** पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 23 जुलाई, 2024

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

/

<u>प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप</u>

<u>माननीय अध्यक्ष महोदय,</u>

आज दिनांक 25.07.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 3-4 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 6 क्रमांक (672), में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग:-

(ख) जी, हां। भूमि के विक्रय हेतु ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 03.02.2023 को आमंत्रित की गई थी। न्यूनतम निविदाकार को आवंटन आदेश दिनांक 12.04.2023 को जारी किया गया था। निविदा की शर्तों के अनुसार निविदाकार को 05 माह के भीतर प्रथम किश्त की जारी जमा करते हुए अनुबंध निष्पादित किया जाना था, किन्तु निविदाकार द्वारा समयसीमा पर अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया। निविदाकार द्वारा कमर्शियल कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट द्वारा प्रकरण का निपटारा आरबिट्रेशन के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में आरबिट्रेशन की प्रक्रिया जारी हैं।

के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावें:-

"(ख) जी, हां। भूमि के विक्रय हेतु ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 03.02.2023 को आमंत्रित की गई थी। अधिकतम निविदाकार को आवंटन आदेश दिनांक 12.04.2023 को जारी किया गया था। निविदा की शर्तों के अनुसार निविदाकार को 05 माह के भीतर प्रथम किश्त की राशि जमा करते हुए अनुबंध निष्पादित किया जाना था, किन्तु निविदाकार द्वारा समयसीमा पर अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया। निविदाकार द्वारा कमर्शियल कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट द्वारा प्रकरण का निपटारा आरबिट्रेशन के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में आरबिट्रेशन की प्रक्रिया जारी हैं।"

(ओ.पी. चौधरी)
मंत्री,
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 25.07.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 09 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्रमांक 774) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं:–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग ''क'' में अंकित ''कलेक्टर जिला–बलरामपुर– रामानुजगंज से जानकारी मिलने पर पुलिस विभाग के द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई है। 1. पुलिस थाना बसंतपुर द्वारा दिनांक 01.07.2023 को प्रदीप सिंह पिता महेन्द्र सिंह से वाहन क्रमांक सीजी 15 डीआर 2514 मे लोड 644 लीटर डीजल जप्त कर प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 90/2023 में भा.दं.स. 1860 की धारा 258 दर्ज किया गया।''

के स्थान पर पढ़ा जावेः–

''कलेक्टर जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज से जानकारी मिलने पर पुलिस विभाग के द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई है। 1. पुलिस थाना बसंतपुर द्वारा दिनांक 01.07.2023 को प्रदीप सिंह पिता महेन्द्र सिंह से वाहन क्रमांक सीजी 15 डीआर 2514 मे लोड 644 लीटर डीजल जप्त कर प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 90/2023 में भा.दं.स. 1860 की धारा 285 दर्ज किया गया।''

(ओ.पी. चौधरी)
मंत्री
वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

<u>छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय</u>

<u>शुद्धि–पत्र</u>

गुरूवार, दिनांक 25 जुलाई, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नांकित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावेः–

गुरूवार, दिनांक 25 जुलाई, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित **तारांकित प्रश्न संख्या–8 (क्र.–831) एवं तारांकित प्रश्न संख्या–14 (क्र.–498) का पुनरीक्षित उत्तर उत्तर** पढ़ा जावे।

रायपुर,
दिनांक : 24 जुलाई, 2024

सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

प्रश्नों में संशोधन

मान्नीय अध्यक्ष महोदय

आज दिनांक 26.07.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ कमांक ...2.... में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या ......1.. (* क्रमांक 488) के उत्तर मे, निम्नानुसार आंशिक संशोधन करना चाहती हूं:–

विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा में 28 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन है तथा 59 जर्जर अवस्था में है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें:–

विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा में 183 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन है तथा 55 आंगनबाड़ी भवन जर्जर अवस्था में है।

(लक्ष्मी राजवाड़े)
मंत्री
महिला एवं.बाल विकास विभाग

संशोधित

प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय

आज दिनांक 26.**07.2024** की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 02 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 05 (*क्रमांक 426) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "क" के प्रपत्र- "अ" एवं भाग "ख" के प्रपत्र- "ब" एवं "स" के स्थान पर कृपया निम्नानुसार **पुनरीक्षित**/संशोधित उत्तर पढ़ा जावें:-

भाग "क" संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार एवं
भाग "ख" संलग्न प्रपत्र "ब" एवं "स" अनुसार है।

शेष मुद्रित जानकारी यथावत् पढ़ी जावे।

हस्ताक्षर एवं पदनाम

(मा. मंत्री)

मंत्री
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र - अ

माह सितंबर, 2022 के बचत स्टॉक के दुरूपयोग, एफ.आई.आर. एवं आर. आर. सी. के संबंध में जानकारी

क्र	खाद्यान्न	माह सितम्बर, 2022 के बचत स्टॉक का दुरूपयोग कितने दुकान संचालकों द्वारा किया गया	जिन दुकान संचालकों द्वारा स्टॉक का दुरूपयोग किया गया उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. की जानकारी			जिन दुकान संचालकों द्वारा स्टॉक का दुरूपयोग किया गया उनके विरूद्ध जारी आर.आर.सी. की जानकारी			
			कितने दुकान संचालकों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई	कितने दुकान संचालकों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई गई	जिन दुकान संचालकों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई गई उसका कारण	कितने दुकान संचालकों के विरूद्ध आर.आर.सी जारी की गई	कितने दुकान संचालकों से आर.आर.सी के विरूद्ध वसूली की जा चुकी है	कितने दुकान संचालकों से आर.आर.सी के विरूद्ध वसूली शेष है	आर.आर.सी. से वसूली कब तक की जाएगी
1	चावल	5453	22	5431	जिन दुकान संचालकों द्वारा कम पाए गए राशन सामग्री की प्रतिपूर्ति की गई है जिनके विरूद्ध आर. आर. सी. की कार्यवाही प्रचलित है, न्यायालय से स्थगन प्राप्त है, उनके विरूद्ध एफ.आर. आर. दर्ज नहीं कराई गई है।	455	115	340	आर. आर. सी. वसूली की कार्यवाही राजस्व न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। अतः वसूली कार्यवाही पूर्ण होने की समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।
2	शक्कर	4466	17	4449		463	104	359	
3	नमक	4321	12	4309		409	102	307	
4	चना	2917	7	2910		238	54	184	
5	गुड	607	1	606		34	11	23	

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-1
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र - ब

माह सितंबर 2022 में वसूल की गयी राशन सामग्री की मात्रा एवं राशन सामग्री का अनुमानित मूल्य

क्र	खाद्यान्न	दुकानों की संख्या जिनसे वसूली की गई	वसूल की गई राशन सामग्री की मात्रा (टन में)	वसूल की गई राशन सामग्री का अनुमानित मूल्य (करोड़ रूपये में)
1	चावल	5140	26153.27	95.83
2	शक्कर	4087	1271.39	5.27
3	नमक	3945	1729.38	2.59
4	चना	2712	902.75	5.72
5	गुड	597	163.42	0.78

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-1
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र - स

माह सितंबर 2022 में सत्यापन में कम पायी गयी राशन सामग्री की मात्रा एवं राशन सामग्री का अनुमानित मूल्य

क्र	खाद्यान्न	सत्यापन में कम पाई गई राशन सामग्री की मात्रा (टन में)	सत्यापन में कम पाई गई राशन सामग्री अनुमानित मूल्य (करोड़ रूपये में)
1	चावल	31323.43	114.78
2	शक्कर	1570.03	6.52
3	नमक	2107.53	3.16
4	चना	1163.91	7.37
5	गुड	179.43	0.86

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-1
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय

आज दिनांक 26.**07.2024** की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 04 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 09 (*क्रमांक 903) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग ''क'' प्रपत्र के सरल क्रमांक 02 में प्राप्त राशि 26.28

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें:-

''33.18''

शेष मुद्रित जानकारी यथावत् पढ़ी जावे।

हस्ताक्षर एवं पदनाम

(दयालदास बघेल)

(मा.श्री मंत्री)

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2021-22 से जून, 2024 तक खाद्य विभाग को प्राप्त राशि की जानकारी

(राशि लाख में)

क्र.	जिले का नाम	प्राप्त राशि	कार्यो का नाम
1	महासमुंद	18.29	आंगनबाड़ी केन्द्रों में गैस कनेक्शन इंस्टॉलेशन
2	मुंगेली	33.18	आंगनबाड़ी केन्द्रों में गैस कनेक्शन इंस्टॉलेशन
3	बीजापुर	2.72	उचित मूल्य दुकानों में पीएम वाणी योजनांतर्गत जीयो वाईफाई कनेक्शन

अनुभाग अधिकारी
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय

आज दिनांक 26.07.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक ...11... में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या...24... (* क्रमांक 775) कंडिका– ''क'' के उत्तर में उल्लेखित प्रपत्र– 'अ' के क्रमांक 18, में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करना चाहती हूँ :–

18	कोरबा	–	–	21.05.2023	अग्रसेन भवन, कटघोरा	14.03.2024	मिनी स्टेडियम, पसान

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :–

18	कोरबा	–	–	21.05.2022	अग्रसेन भवन, कटघोरा	14.03.2024	मिनी स्टेडियम, पसान
		–	–	30.03.2023	दशहरा मैदान, निहारिका चौक, कोरबा	–	–
		–	–	30.03.2023	महेशपुर, सामुदायिक भवन, कटघोरा	–	–

(लक्ष्मी राजवाड़े)
मंत्री
महिला एवं बाल विकास विभाग